पंचम माला, खंड 44, अंक 35 गुरुवार, 5 सितम्बर, 1974/14 भाद्र, 1896 (शक)

Fifth Seris, Vol. XLIV, No. 35 Thursday, September 5, 1974/Bhadra 14, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 44 में अंक 31 से 38 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 31 to 38]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी/हिंदी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 35—गुरुवार, 5 सितम्बर, 1974/14 भाद्र, 1896 (शक)

No. 35—*Thursday, September* 5, 1974/*Bhadra* 14, 1896 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	Re. Adjournment Motions .	1–6
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of privilege—	
हिन्दी साप्ताहिक "प्रतिपक्ष" में प्रकाशित कतिपय समाचार—	Certain news report published in 'Pratipaksh' a Hindi weekly—	
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . . .	6–7
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	7–9
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	9
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	9–11
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon . .	12
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	12–14
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . .	14–15
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	15
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	15
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	15–16 व 18–19
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan .	19–20
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	20–21
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . .	16–17, 22–23 व 29–30
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra .	23–24
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	25
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chappalendu Bhattacharyyia . . .	25–26
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur . .	26
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale .	26–27
श्री पीलू मोदी	Shri Pilloo Mody	27–28

1—34 L.S.S.(N.D.)/74

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 5 सितम्बर, 1974/14 भाद्र, 1896 (शक)
Thursday, September 5, 1974/Bhadra 14, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Three Minutes past Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
RE. ADJOURNMENT MOTIONS

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं नियम 379 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । नियम 379 की व्यवस्था के अनुसार सचिव सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार कर, उसे यथासम्भव शीघ्र समय पर प्रकाशित करवाता है । सदन की कार्यवाही का ब्यौरा नियम 31 के अन्तर्गत दिया गया है । सदन की कार्यवाही "कार्यसूची" के अनुसार चलाई जाती है परन्तु आप की अनुमति के साथ कोई अन्य विषय भी सभा में उठाया जा सकता है । यदि कोई बात आप की अनुमति के बिना कही अथवा उठायी जाती है तो वह कार्यवाही का अंग नहीं बन सकती ।

अध्यक्ष महोदय : इन सब के बारे में नियमों में बहुत स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I think my friend Shri Stephen is not aware of the fact that adjournment motion or new privilege motion do not form part of order paper and we have always got the right to plead for their acceptance. The decision of speaker is considered to be final on the admissibility of the motion. So the point of order raised by my friend Shri Stephen hardly carries any weight.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं 1957 से सदन का सदस्य चला आ रहा हूं। स्थगन प्रस्ताव कभी भी पहले स्वीकार नहीं किया जाता। उसे स्वीकार करवाने के लिए हमें आपके समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने पड़ते हैं। सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। अतः इसके लिए अलग सुनिश्चित प्रक्रिया है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में आप का यह कहना कि यह उसी विषय से सम्बद्ध है, तर्क संगत नहीं है।...अतः मैं चाहता हूं कि आप इस स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दे दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The point of order raised by Mr. Stephen under rule 379 is not logical. This rule does not mean that adjournment motions cannot be raised. We have been forced to bring an adjournment motion because all other modes of motions such as call attention, half an hour discussion and short notices here already been stopped by Business Advisory Committee. So I will request you to convene a meeting of the Business Advisory Committee in which Members should be allowed to raise all the matters of vital public interest. The point of order raised by Shri Stephen does not carry any weight.

श्री एच० एम० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : यदि प्रक्रिया को दृष्टिगत रखा जाए तो मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि यह भी उचित नहीं है कि कोई सदस्य बार बार एक ही बात को दोहराता ही चला जाये तथा अपने उंचें स्वर के कारण कार्यवाही को अब रद्द करने का प्रयास करे। परन्तु अपनी बात कहने का अधिकार सभी सदस्यों को है। यदि भुखमरी के कारण कुछ मौतें हुई है तो उस प्रश्न को उठाने का सदस्यों को अधिकार है। श्री स्टीफन ने जिस चतुराई से अपनी बात कहने का प्रयत्न किया है, हम निश्चय ही उसकी अनुमति नहीं देने वाले।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपत्ति उठाई गई है अतः मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। स्थगन प्रस्ताव अचानक ही सदन में नहीं उठाया जाता। वह भी कुछ नियमों के अन्तर्गत ही उठाया जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि नियमों के अनुसार प्रस्ताव की सूचना नहीं दी गई है। यह निर्णय करना आप का काम है कि प्रस्ताव नियमों के अनुसार भेजा गया है अथवा नहीं। मेरी आपत्ति यही है कि नियम 379 के अनुसार बिना आप की अनुमति के कुछ भी कार्यवाही का अंग नहीं बन सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा निवेदन यह है कि स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियम 379 को घसीटना बिलकुल असंगत है। सदन की कार्यवाही सदा ही नियमों के अनुसार चलाई जाती रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं यह समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री स्टीफन को अभी नियमो का कुछ और अध्ययन करना चाहिये। अभी तक उन्हें स्थगन प्रस्ताव के स्वीकृत होने की पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि यदि आप कोई प्रस्ताव अस्वीकार कर देते है, तो उसे स्वीकार करवाने के लिए तर्क प्रस्तुत करने का हमें अधिकार है। इस सन्दर्भ में नियम 60 को देखा जा सकता है। दोनों पक्षों के मत तथा तर्क को सुनना तो आप ही का कर्तव्य है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (वडागरा) : हमारे समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या स्थगन प्रस्ताव आपको भेजा जा चुका है और यदि हां, तो क्या आपने उसकी अनुमति दे दी है। यदि ऐसा नहीं है तो सदन में उसकी व्यर्थ चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब से मैंने आसन संभाला है तभी से यह शोरगुल चल रहा है। आप लोग कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि मैं लाचार हो जाता हूं। जहां तक कार्यसूची का सवाल है, उसके बारे में यह ठीक है कि वह पहले दिन तैयार की जाती है। परन्तु स्थगन प्रस्ताव तथा विशेषाधिकार प्रस्तावों को स्वीकार करने की हमारे सचिवालय की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है तथा उन्हें उसी प्रक्रिया के अनुसार ही स्वीकार किया जाता है। स्थगन प्रस्तावों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही थी इसीलिए अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा की व्यवस्था की गई। अतः हमारा यथासम्भव यह प्रयास रहता है कि हम सदस्यों को नियमों के अनुसार अधिकाधिक अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करें। मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह शान्तिपूर्वक ढंग से अपनी बात कहें ताकि सदन की कायवाही सुचारू रूप से चलाई जा सके।

मुझे अनेक स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना मुझे श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा श्री जगन्नाथ राव जोशी से प्राप्त हुई है। इस का सम्बन्ध महाराष्ट्र के महाधिवक्ता, श्री एम० एम० सीरभाई के त्यागपत्र से उत्पन्न स्थिति के बारे में है। यह तो राज्य का मामला है। हमारा भला इससे क्या सम्बन्ध ?

इसी प्रकार दूसरी सूचना श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा चीनी, चावल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि के बारे में है। इसे मैंने कल अस्वीकार कर दिया था। मंत्री महोदय को यथासंभव शीघ्र इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए कह दिया गया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक अन्य सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सांविधिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सरकार की असफलता से सम्बद्ध है। मैंने अतीत के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, यही विनिर्णय दिया है कि हम स्वायत्त-शासी निकायों के केवल निधि पूरक मामलों पर ही यहां चर्चा करते हैं, अन्य विषयों पर नहीं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We do not want that they should intervene in the affairs of the university. But Education Minister can come forward with a statement. in this connection.

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद अगली स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना मुझे श्री मधु लिमये से प्राप्त हुई है। इसके अनुसार रेल कर्मचारियों को उत्पीड़ित न करने के सरकारी आश्वासन को पूरा न करने की सरकार की असफलता तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पालन करने में सरकार की तत्काल घोषणा न किये जाने के बारे में है। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, सदन में इस पर अनेक बार पहले चर्चा की जा चुकी है।

तत्पश्चात् श्री समर गुह द्वारा यह सूचना दी गई हैं कि 21 संसद सदस्यों की संयुक्त सिफारिश के आधार पर कुछ व्यापारियों को लाइसेंस देने के मामले के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना हेतु अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार की असफलता के बारे में है। आप जानते ही है कि यह विषय तो पहले ही सदन के समक्ष है, फिर भला इस पर स्थगन प्रस्ताव देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने इसकी सूचना कुछ तकनीकी कारणों के आधार पर दी है। चार ऐसे समाचार पत्र मेरे समक्ष है जिन्होंने इसके बारे में कटु आलोचनापूर्ण सम्पादकी लिखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा ने दिल्ली तथा अन्य राज्यों और संघ क्षेत्रों में जमाखोरी और चोरबाजारी की समाप्ति की मांग करने वाले स्वयंसेवकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारीयों के बारे में एक प्रस्ताव की सूचना दी है। यदि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं तो आप उनके बारे में जानकारी मांग सकते हैं यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने दो तीन प्रस्तावों की सूचना दी है। मुझे यह समझ नहीं आता एक सदस्य एक दिन में इतने सारे स्थगन प्रस्तावों की सूचना कैसे दे देते हैं। शायद वह ऐसा इस विचार से करते हैं कि अगर एक न मंजूर किया गया तो शायद दूसरे की बारी आ जाए। यह ठीक तरीका नहीं है। आप इसे मज़ाक न समझे अन्यथा इस संबंध में ऐसा नियम बनाना होगा कि एक सदस्य ज्यादा से ज्यादा कितने प्रस्ताव दे सकता है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का संबंध उस प्रस्ताव से है जिसे आपने स्वीकार कर लिया है। सभी समाचार पत्रों में लाइसेंस घोटाले के बारे में उत्तेजनापूर्ण लेख दिए जा रहे हैं। संसद सदस्यों पर आरोप लगाया गया है। संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा के बारे में किसी को कोई संदेह न हो इसलिए एक प्रस्ताव दिया गया था। आपने उस प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी किन्तु संसदीय कार्य मंत्री ने उसे रोक दिया। किन्तु मेरा स्थगन प्रस्ताव बिल्कुल व्यवस्थानुरूप है। इसे अस्वीकार करने की आपको वजह बतानी होगी। प्रतिदिन समाचार पत्रों में हमारे बारे में लिखा जा रहा है। हमारा सम्मान खतरे में है . . . (**व्यवधान**)

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे है। हमारे प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir why don't you ask the Government to have a discussion on this matter?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) **:** If discussion is held on this matter it will be raised again and again in the House.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गत तीन या चार दिनों से जो कुछ हो रहा है उस पर मैं चिंता व्यक्त करता हूं। यदि इतने स्थगन प्रस्ताव पेश किए गए है तो इसका कारण यह है कि सदस्य कुछ शिकायतों को दूर करवाना चाहते है किन्तु आज कल न तो नियम 377 के अधीन कोई मामला उठाने दिया जा रहा है न कोई आधे घंटे की चर्चा हो रही है और न ही कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जा रहा है ताकि सदस्यों की शिकायतें दूर की जा सके। इसलिए सदस्य प्रक्रिया नियमों में दिए गए नियमों का गलत उपयोग करने का प्रयत्न करते हुए बार बार स्थगन प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदय को कार्य यंत्रणा समिति की एक बैठक बुलानी चाहिए जो कि इस सार मामल की जांच करे और शेष दो दिनों के लिए अध्यक्ष महोदय यह सुनिश्चित करें कि हमें कुछ नियमों के अंतर्गत मामले उठाने दिए जाए ताकि हम जनता की शिकायतें पेश कर सकें।

वर्तमान स्थिति लाइसेंस के मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति न करने की सरकार की जिद् के कारण उत्पन्न हुई है। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और अध्यक्ष महोदय आपको इसकी जांच के लिए संसदीय

समिति की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी। सभा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। आप ही सदन की मर्यादा के रक्षक है। यही मेरा निवेदन है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : We must have an opportunity to raise matters of urgent Public Importance. In the British House of Commons opposition by usage has acquired the right to exercise the initiative in selecting the subject of debate on important occassions. At this time we have no other way left for a discussion on the motion about the licence scandal. Sir, you should allow a debate on this motion in consultation with the leader of the House or admit our adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय कल दे दिया था ऐसे मामलों में जहां सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते उसमें अध्यक्ष बीच में नहीं आता और उसका निवारण किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir since this subject cannot be debated here the whole Parliament has become an object of disrespect in the eyes of the people, what is the way to get out of this difficulty ?

Mr. Speaker : I have called the meeting of Business Advisory Committee today. You can discuss the matter there.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वास्तव में हम ऐसी स्थिति में है कि अध्यक्ष महोदय को हमारे प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति के सभापति होने के नाते आपने अपने कार्यों का अधित्याग करना क्यों आवश्यक समझा। सदन ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन सभा की कार्य सूची बनाने तथा हर मद के लिए समय नियत करने के लिए किया है। लेकिन यह अनुपयोगी सिद्ध हुई है। ऐसी स्थिति में सदन के पास कार्य करने का और कोई तरीका नहीं। यदि आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाना चाहते तो हम निश्चय ही आपको इसके लिए नहीं कहेंगे। किन्तु हमारे जनता के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हम उनके निर्वाचित प्रतिनिधि है ...(**व्यवधान**)

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय आपने नियम 189 के अतर्गत प्रस्ताव स्वीकार किया है और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई दिन नियत नहीं किया। नियमों के अनुसार अनियत दिन वाले प्रस्ताव के संबंध में नियम 190 अत्यंत स्पष्ट है।

> "अध्यक्ष महोदय सभा की कार्य स्थिति पर विचार करने के बाद सभा के नेता के साथ परामर्श करके एक दिन अथवा अधिक दिन अथवा दिन का भाग ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नियत करेंगे।"

इसका कार्य मंत्रणा समिति से कोई संबंध नहीं। आपने नोटिस को स्वीकार किया है। आपकी स्वीकृति ने ही सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अतः नियम 189 के अधीन प्रस्ताव की सूचना स्वीकार किए जाने के पश्चात नियम 190 के अधीन आप पर अपनी शक्तियों के उपयोग की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय मैंने तथा विरोधी पक्ष के अन्य कई सदस्यों ने मिल कर नियम 189 के अंतर्गत नोटिस दिया है। नियम 189 के अनुसार

[श्री एस० एम० बनर्जी]

"यदि अध्यक्ष महोदय किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते है और ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिन नियत नहीं किया जाता तो ऐसा प्रस्ताव शीघ्र ही समाचार भाग में अनियत दिन वालों प्रस्ताव शीर्षक के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा।"

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित प्रस्ताव नियम 189 के अंतर्गत गृहीत किया है:—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 15 सदस्यों की सभा की एक समिति गठित की जाये जो इस बात की जांच करे कि राज्य सभा में 27 अगस्त 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर में निर्दिष्ट पार्टियों को लाइसेंस देने की सिफारिश करने वाले पत्र के साथ सभा के कुछ सदस्यों के नाम जोड़े जाने के फलस्वरूप किन व्यक्तियों, परिस्थितियों तथा कारणों से समूची सभा की प्रतिष्ठा कम हुई है।"

इस प्रस्ताव में न तो किसी मंत्री और न ही उन 21 सदस्यों के नाम का उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष महोदय हमें इस पर चर्चा की अनुमति दें ताकि हम यह सिद्ध कर सकें कि हम भ्रष्ट नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): नियम 190 के अन्तर्गत अध्यक्ष सभा के नेता के साथ परामर्श कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यह आवश्यक नहीं है कि वह सभा के नेता से परामर्श करे।

अध्यक्ष महोदय: इस संसद के इतिहास में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति से परामर्श किए बिना स्वयं समय निर्धारित किया हो। जब इसे कार्य मंत्रणा समिति ने स्वीकार नहीं किया है तो मैं इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाएंगे और उसमें यह बात उनके समक्ष रखेंगे। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Mr. Speaker, Sir, I want to submit that matters under rule 377 should be allowed. The Minister of External Affairs should come forward with a statement regarding demonstration being held before Indian High Commission at Kathmandu.

श्री समर गुह: मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह मामले केवल संसद् के चार कोनों के भीतर ही सीमित नहीं है। बाहर के लोग भी इसे जान गए है। सदन की प्रतिष्ठा को ललकारा गया है ...

अध्यक्ष महोदय: मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई प्रश्न न करें।

विशेषाधिकार का प्रश्न—(जारी)

QUESTION OF PRIVILEGE—(*Contd.*)

हिन्दी साप्ताहिक 'प्रतिपक्ष' में प्रकाशित कतिपय समाचार

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी: मैं श्री फर्नांडिज की भर्त्सना करता हूं जिनके समाचार पत्र में यह गन्दा लेख छपा है। उनके हाथ में चरित्र हनन ही अंतिम और एकमात्र राजनैतिक हथियार रह गया है। यह लेख उनके नैराश्य की परिणति है। इस लेख से उन्होंने न

तो सदन का अपमान और न ही कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का अपमान किया है बल्कि उन्होंने अपना और अपने उन साथियों का अपमान किया है जिन्होंने इस लेख के लिए प्रेरणा दी है। हमारी भाषा में एक कथन है कि उपर थूको तो अपने पर ही थूक गिरती है। यही बात सही रूप में इनके साथ हुई है।

विशेषाधिकार समिति का कार्य विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। वह कोई न्यायालय नहीं। इस सदन की मर्यादा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब इस दृष्टि से मैं विचार करता हूं तो ऐसा लगता है कि हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं कि हम श्री मधु लिमये और श्री पीलू मोदी का प्रस्ताव स्वीकार करें क्यों कि यह गठबंधन करके किया गया है और इस सभा के कुछ दल और सदस्य एक पक्ष में है तो हमें यह अधिकार मिलता है कि हम उसकी निंदा करें।

स्मरण रहे कि यह प्रजातंत्र पर एक बहुत बड़ी चोट है। जार्ज फर्नांडिज ने इस सभा के सदस्यों का अनेक रूप से अपमान किया है। श्री पीलू मोदी ने इस वक्तव्य के महत्वपूर्ण भाग के बारे कुछ नही कहा जब कि श्री एल० एन० मिश्र और प्रधान मंत्री के बारे में इन्होंने कहा है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आप इसे पढ़िये, इसका अनुवाद न कीजिये।

श्री दिनेशचंद्र गोस्वामी : जब ये समूची सभा की बात करते है तो इसमें विरोधी दल के सदस्य भी आते है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः कहूंगा कि प्रस्तावों के निर्धारित प्रपत्रों पर सूचनायें दी जानी चाहिये।

श्री पीलू मोदी : आप यह बात अपने कक्ष में कह सकते है। इस समय तो मुझे भी गोस्वामी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : हम इस सभा की गरिमा और मान बनाये रखना चाहते है। कांग्रेस दल को अपमानित करने के उद्देश्य से यह सारा षडयंत्र रचा गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य 21 सदस्यों के मामले को विशेषाधिकार समिति के सामने लाना है। यदि सभा ने पहले यह निर्णय कर लिया है कि यह किसी मामले के विशेषाधिकार समिति के पास भेजने को तैयार नहीं तो प्रतिपक्ष वाले यह कैसे आशा कर सकते है कि इसे अप्रत्यक्ष रूप से विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है। हम यदि वास्तव में सभा की गरिमा और मान बनाये रखना चाहते है तो यह विशेषाधिकार समिति द्वारा सम्भव नहीं। यह तो आचार संहिता द्वारा हो सकता है और जिसे हमें बनाना चाहिए।

इस पत्र की अधिकाधिक निंदा की जानी चाहिए। इसकी उपेक्षा कर दी जानी चाहिए क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यह सभा एक गम्भीर मामले पर चर्चा कर रही है।

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

श्री मोदी जब विशेषाधिकार लाये तो कांग्रेस सदस्यों सहित समूची सभा ने इसका स्वागत किया था । लेकिन कांग्रेस ने अब अपना निश्चय बदल लिया है । जार्ज फर्नांडिस को राजनैतिक गतिविधियों के बारे में मुझे भी जानकारी है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका समाचार पत्र बहुत घटिया किस्म का है ।

इस पत्र ने समूची सभा के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये है और इस राष्ट्रीय संस्था की मर्यादा को चोट पहुंचायी है ।

यही समय है जब संसद को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये, अपने को टटोलना चाहिये तथा आत्मपरीक्षण करना चाहिये । देशवासी यह समझ बैठे है कि 20 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षरों से इन्कार करके झूठ बोला है ।

इस सदन में मंत्रियों अथवा प्रधान मंत्री के विरुद्ध कुछ कहना और बात है और किसी पत्र में ऐसा ही प्रकाशित होना और बात है । पत्र में संसद् तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध बहुत अशोभनीय बातें कही गयी है । श्री मोदी के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिये।

हमें हर किमत पर संसद की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है । हमें मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिये और किसी व्यक्ति की निंदा उसे सुने बिना नहीं करनी चाहिये । संसद इस मामले की जांच करे और ऐसा करते समय सरकार के हर विभाग की सहायता यह ले सकती है ऐसा करने के लिये हमें उपाय खोजने होंगे । (**व्यवधान**)

यदि संसद पर इस ढंग से किचड़ उछाला जाये तो मेरे मन में इसके लिये कोई अनुराग नहीं है ।

इस प्रकार बुनियादी तौर पर संसदीय प्रणाली से हमारा सम्बन्ध नहीं है । यदि यह प्रणाली असफल रहती है तो मुझे बहुत अप्रसन्नता नहीं होगी । यदि कल को संसद समाप्त हो जाती है तो मुझे अप्रसन्नता नहीं होगी । परन्तु जब तक हम संसदीय प्रणाली से लाभ उठाने के लिये बचनबद्ध हैं, तब तक मैं इस व्यवस्था को समाप्त नहीं होने देना चाहता और इसका जनता के दिल में मान कम नहीं होना चाहिये ।

संसद पर गम्भीर ढंग से प्रहार किया गया है । हमें इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये चाहे ऐसा करने में कुछ भी जोखिम हो । 21 सदस्यो के प्रश्न पर कांग्रेस पार्टी इतनी घबरा क्यों रही है ? जब तक हम संसदीय प्रणाली चला रहे हैं, हमें इस प्रणाली के लिये कुछ करना होगा । हमें जांच करनी होगी । इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजना होगा । इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिये ।

अत: श्री मोदी के प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये और समिति के कार्य को सरल बनाने के लिये श्री लिमये के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

हमें अपने लोगों को यह कहने का अवसर नहीं देना चाहिये कि हमें देश से इसलिये धन मिलता है कि हम मूर्खों की मंडली के सदस्य हैं । मैं मूर्खों की मंडली को सहन कर सकता हूं परन्तु मैं बेईमान लोगों की मंडली को सहन नहीं कर सकता । परन्तु यदि मूर्खता और बेइमानी इकट्ठा हो जाये तो इससे खराब और कोई बात नहीं हो सकती ।

हमें इस समय कुछ इमानदारी की आवश्यकता है। इस दिशा में एक कदम उठाने के लिये संसद को इस प्रस्ताव को संशोधन सहित स्वीकार कर लेना चाहिये। कांग्रेस पार्टी को पुनः विचार करके इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के पास भेजना चाहिये। तब वह जनता के समक्ष निर्भीकता से जा सकेगी।

Shri M. C. Daga (Pali) : Small papers like 'Pratipaksha' are politically inspired papers believing in character assassination. Privilege Motion of Shri Pilloo Mody is nothing but politically motivated.

Facts of this case will be known only after the investigation by the CBI. (*Interruption*) This papers has deliberately thrown mud on Smt. Indira Gandhi. In fact there should be no further discussion as the matter is already under investigation. Such papers indulging in mud throwing at a party or its leaders should straightaway be ignored. Intentions behind the privilege motion are not fair. Investigation is already going on. They should go there and give their statements.

I feel that this matter need not be referred to the Committee of Privileges and that we should have faith in the existing enquiry.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I support Shri Modi's motion to refer this matter to the Committee of Privileges as I believe that the committee in its wisdom will conduct a thorough probe and a fair chance would be given to Shri George Fernandes to defend himself. I had given an amendment to this motion that all relevant records and documents be kept in Speaker's custody so as to prevent them to be tempered with.

I feel that some of the Members of Parliament are telling a lie when they say that their signature are forged. Secondly, Shri L. N. Mishra himself got these memoranda prepared and in this deal he has covered 30 lakh rupees himself. I am sorry to say that the Prime Minister is also sullying her name by siding with person likes S/Shri Misra and Bansi Lal. Therefore no action will be taken against Shri Mishra... (*Interruptions*). Sir, I am speaking only about what is the subject matter of Shri Modi's notice... (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order please. He may not include extraneous matters in his speech.

Shri Madhu Limaye : I have here four top secret documents pertaining to Commerce Ministry and all these pertain to Shri Mishra's tenure...

श्री० बी० आर० शुक्ल (बहराईच) : इस समय सभा विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार कर रही है जबकि श्री लिमये अन्य बाहरी विषय ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : लिमये जी, इस प्रकार तो यह निन्दा का प्रस्ताव बन जाएगा।

Shri Madhu Limaye : I will now restrict myself to the Ministry only. Sir, there is this question of privilege and none but Shri Mishra manipulated the memorandum...

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : प्रश्न तो इस समय केवल यह है कि क्या यह मामला विशेषाधिकार समित को सौंपा जाये? यदि सभा यह निर्णय करती है तो उक्त समिति इन बातों पर विचार करेगी। फिर क्यों सदस्य महोदय को इस प्रकार के आरोप लगाने और चरित्र हनन की अनुमति दी जा रही है?

Shri Madhu Limaye : How else can I plead my case and defend my friend?

अध्यक्ष महोदय : इन सभी बातों पर विशेषाधिकार समिति विचार करेगी। इस समय हम केवल इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये या नहीं ?

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह ठीक है कि प्रश्न यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बारे में है परन्तु क्या श्री लिमये मामले की गंभीरता और इसके अन्तर्ग्रस्त भ्रष्टाचारों का उल्लेख करके अपने पक्ष की पुष्टि नहीं कर सकते ? मेरे विचार में वह ऐसा कर सकते हैं...

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : क्या सदस्यों को यह नहीं बताना चाहिये कि उन्हें गुप्त दस्तावेज मंत्रालयों से कैसे प्राप्त हुए हैं यदि वे सभा में उनका उल्लेख करते हैं या उनमें से उद्धरण देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में ऐसी प्रक्रिया नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यद्यपि श्री लिमये ने इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहा है, फिर भी सरकार को यह स्वीकार नहीं है। चाहे उन्होंने कोई भी पक्ष क्यों न लिया हो, उन्हें अपने पक्ष में से सभी बातें कहनी पड़ेंगी अन्यथा वह अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत करते हैं ?

Shri Madhu Limaye : Sir, I have one duty as a Member of Parliament and another as a friend of Shri Fernandes but I will not allow my duty as a friend to come in the way of my functions as Member and as such I should support this motion.

Now, regarding what has been published in 'Pratipaksh' is the responsibility of its Chief Editor, whether he wrote it or not.

I am not mentioning any name but regarding the erstwhile Ministry of Foreign Trade... (*Interruptions*).

I have not mentioned name of any body.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं इसे गोपनीय दस्तावेज बताते हैं और इस दस्तावेज का वाणिज्य मंत्री से सम्बन्ध है। वाणिज्य मंत्री को सूचना दिये बिना इस दस्तावेज को जन हित में यहां बताने की अनुमति उन्हें न दी जाये।

श्री मधु लिमये : यह उनके स्वयं के हित में है। उन्हें चुप रहना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह आदेश कैसे दे सकते हैं ?

Shri Madhu Limaye : If you ask, how is it relevant? The licences issued on the basis of the memorandum bearing signatures of 21 M.Ps. are being sold in black-market. There should be full investigation in the matter. My friend should have a right to defend himself. After that, if the committee on privileges reaches at the conclusion that there has been contempt of the House, they may award the punishment they like. But it is within my rights to explain that how the Foreign Trade Ministry was functioning.

I want to say the manner in which the C.B.I. is functioning. It took 2 to 3 years in completing investigation. If this case is handed over to the C.B.I., it will ake very long time in submitting its report. That is why I said to seize the documents.

The Minister of Railway (Shri L. N. Mishra) : Let the hon. Member mention the date of the document. I was not in charge of that ministry in January 1970.

Shri Madhu Limaye : All right, I withdraw. But who was in charge of the ministry during this period?

"CBI registered a case on 20th September, 1971".

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

If I am asked to lay these documents on the Table, I am prepared to do so but in that case the press will be entitled to publish it.

Shri L. N. Mishra: If the hon. member had to say something about me, he should have given notice so that I could have come prepared. But when he mentions my name, he should mention the date also.

Shri Madhu Limaye : I have not mentioned his name. I simply asked was he the Minister in charge at that time?

If the writer of an article published in the "Pratipaksha" comments and the discussion on his comments is not allowed... (*Interruptions*).

I agree that some words used in this newspaper may be objectionable but the intention and motive behind them is to comment the foundation of democracy in this country. If they have committed any mistake, the committee on privileges can give their verdict but there should be full investigation.

In to-day's 'Hindustan Times' Shri Indra Malhotra has highlighted the manner the C.B.I. functions.

Therefore, I have no faith in investigation getting conducted by the C.B.I. And if parliamentary probe is not allowed, it is their sweet-will. But the natural justice demand that before declaring Shri George Fernandes and his "Pratipaksha" guilty, they should be given full opportunity to defend themselves. They should be allowed to bring their hand writing expert and given evidence before the committee on privileges. In order to remove the possibility of tampering with the memorandum, all the documents and papers should be seized.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं इस विषय पर चर्चा के समय के बारे में जानना चाहता हूं। मुझे अपने सहयोगी से पता चला है कि अध्यक्ष महोदय ने दो घंटे के समय का संकेत दिया था। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि मंत्री महोदय को 2 बज कर 30 मिनट पर बुला लिया जाये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यदि मंत्री महोदय को 2.30 बजे बुलाया जायेगा तो मुझे कब बुलाया जायेगा।

श्री के० रघुरामैया : 2.45 ।

श्री पीलू मोदी : मेरा एक निवेदन है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : श्री पीलू मोदी ने प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय ने इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी है। दुर्भाग्यवश यह विशेषाधिकर का मामला नहीं है। हमारा लिखित संविधान है। यहां कुछ माननीय सदस्य ब्रिटिश प्रथा को उद्धृत करते हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सभा के बाहर की गई कोई टिप्पणी सभा के कार्य में चर्चा का विषय बन सकती है . . . (**व्यवधान**)

यदि आप ऐसी बातों की अनुमति देंगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। और यह सभा के प्रति सम्मान को कम करना होगा। इस विषय पर सभा के बाहर निर्णय किया जाना चाहिए। सभा को इससे क्या लेना देना है। यह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित प्रकाशन है और इस पर चर्चा करके हम सभा का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे है। वे प्रधान मंत्री का अपमान करना चाहते हैं। देश की जनता को इसे समझना चाहिए। क्या कोई प्रतिपक्षी दल किसी ऐसे नेता का सुझाव दे सकता है जिसको देश की बागडोर सौंपी जा सके। मैं इस मामले पर दोष व्यक्त करता हूं। विरोधी पक्ष की चुनाव में पराजय हुई है और हमारा इस सभा में दो तिहाई बहुमत है किसी को अधिकार नहीं कि वह हमारे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाए ।

जब विरोधी पक्ष के लोग सिद्धान्त की बात करते हैं तो मैं उनसे पूर्ण सहमत होता हूं। यह तो विशेषाधिकर का भी मामला नहीं। इस मामले का निर्णय तो न्यायालय करेगी जब विरोधी पक्ष के सदस्य सिद्धान्त के लिए लड़ते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए किन्तु इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति कहे जाने वाले अपमान जनक शब्दों की भर्त्सना भी जरूर की जानी चाहिए। मैं श्री मोदी द्वारा उठाए इस मामले को ठीक नहीं समझता। इस पर न्यायालय में निर्णय होना चाहिए। सभा का समय व्यर्थ ही नष्ट किया जा रहा है। इसका उपयोग देश के कल्याणार्थ किया जाना चाहिये ।

नियम 224 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्रश्न की ग्राह्यता के लिये निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख किया गया है :—

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे ।

(2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा ।

(3) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित है ।

विशेषाधिकार के मामले के विषय में नियम कुछ नहीं कहते। हमें इस मामले पर शांति से गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। यदि हम आज निर्णय करते है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए तो यह भविष्य के लिए एक दृष्टांत बन जाएगा और संसद संसद न रहकर न्यायालय बन जाएगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी के भाषण को बड़े धैर्यपूर्वक सुना है। कांग्रेस के अन्य सदस्यों के भाषणों को भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है मुझे उनमें कुछ भी सच नहीं दिखाई दिया। मैं तो केवल यही कहूंगा कि थोथा चना बाजे घना। कांग्रेसी सदस्य इस मामले

को विशेषाधिकार समिति में भेजने से इसलिए डरते है कि मामला अगर वहाँ गया तो उसकी पूरी-पूरी जाँच होगी। इसलिए संसद को चोरों और दलालों का अड्डा तथा प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार का स्रोत सुन लेने के बावजूद भी वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति में नहीं भेजना चाहते। श्री जार्ज फर्नेन्डीज ने ऐसी बातों को प्रकाश में लाकर बड़े साहस का कार्य किया है। उनके विरुद्ध कुछ बातें कही गई हैं। म तो केवल यही कह सकता हूं कि जिन लोगों ने उनके बारे में अपशब्द कहे हैं वह शायद उस समय राजनीति से परिचित भी नहीं थे जब यह व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में था।

अस्थानी संसद के कार्यकाल के दौरान विख्यात मुदगल केस में क्या आरोप था। मेरा विश्वास है कि श्री एल० एन० मिश्र इससे जरूर जानते होंगे। श्री मुदगल बम्बई के सराफा व्यापारी संघ के लिए लाबी तैयार कर रहे थे। यह बात स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के ध्यान में आई और श्री टी० टी० कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई तब श्री मुदगल ने चालाकी करके कुछ भी बात खुलने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। परिणाम-स्वरूप सदन ने इस पर असंतोष व्यक्त किया कि वह व्यक्ति त्यागपत्र देकर दण्ड से बच गया है। परन्तु आज क्या स्थिति है? वही दल आज इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। क्या अजीब बात है।

कल हम सब विरोधी दल के नेता प्रधानमंत्री से सभा के नियमों के आधार पर कोई समझौता करने के विचार से मिले। हमने दो प्रस्तावों पर ज़ोर दिया। एक प्रस्ताव आयोग जाँच अधि-नियम के अन्तर्गत भारत सेवक समाज के बारे में कपूर आयोग के प्रतिवेदन के अधार पर श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध था। किन्तु प्रधानमंत्री ने इसे नहीं माना।

मैंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि अगर मैंने जो कुछ भी लिखा है झूठ प्रमाणित हुआ तो मैं विशेषाधिकार समिति का सामना करूंगा वह जो भी दण्ड देगी उसे सहन करूंगा।

फरवरी 1972 से यह बात चली आ रही है और 30 मार्च के ब्लिट्ज ने बताया है कि सरकारी ऐजेंसी को इसका पता था। मेरी जानकरी यह है कि सात सदस्य विदेश व्यापार मंत्री से मिले हुए थे और कुछ हस्ताक्षर करवाए गए तथा कुछ जाली हस्ताक्षर किए गए।

श्री जार्ज फर्नेंडीज को सरकार की गतिविधियों, रवैयों और नीतियों का पता है। वह अच्छी तरह जानते है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरों सत्तारूढ़ दल का ही पाकेट एडीशन है। अध्यक्षपीठ का कार्य सभा की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर और क्या उपाय है। समूचा देश, समूचा प्रेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस इस दुखद कहानी से हतप्रभ है और आश्चर्य यह है कि भारतीय संसद को क्या हो गया है। सरकार छोटे छोटे दलगत मामलों को प्रोत्साहन देने के लिये बहुत उत्सुक है और वह इस प्रकार सदन की गरिमा पर गंभीर प्रहार कर रही है। हमने इस मामले को स्पष्ट कराने के लिए दो या तीन बार प्रयास किया है किन्तु उनकी असहमति और कार्यमंत्रणा समिति में उनके कठोर व्यवहार के कारण इस मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस सदन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कार्य मंत्रणा समिति एक सप्ताह के लिए इस प्रकार का सभा का कार्य प्रस्तुत नहीं कर सकी जिस पर सभी पक्ष सहमत हो। अगर यह मामला न्यायालय को भेज दिया गया तो वह सदन के क्षेत्राधिकर से बहार चला जाएगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री तुलमोहन राम को क्या हुआ। वह कहाँ खिसक गए हैं। क्या सरकार को पता नहीं वह कहाँ छिपे हुए हैं। क्या यह सच है कि उन्हें किसी विशिष्ट

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

व्यक्ति के मकान में शरण दी गई है। वह इस सदन में क्यों नहीं आ रहे ? क्या दल के नेता का यह कर्तव्य नहीं कि वह उस संसद सदस्य, जिसके बारे में हम गत 5 या 6 दिन से यहाँ वाद-विवाद कर रहे हैं, को सदन के समक्ष पेश करें।

मैं अपने संशोधन के पक्ष में यह चाहता हूं कि इस मामले से संबंधित सभी फाईलें जब्त की जाएं उन्हें सील किया जाए और उन्हें अध्यक्ष महोदय की हिफाजत में रखा जाये। यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह वादविवाद 2.30 बजे समाप्त हो जाना चाहिये। परन्तु जब मैं 1.45 बजे यहां आया तो देखा कि अभी अनेक सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करने हैं। सरकार की ओर से मुझे बताया गया है कि अभी काफी सरकारी कार्य बाकी है और सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाना है। आज हमारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है मैं उससे दुखी हूँ। चाहे यह मामला विशेषाधिकार समिति को जाये या नहीं परन्तु सभा को इस मामले में अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर मिलना चाहिये। इसी प्रकार मंत्रियों को भी, जिनके नामों का उल्लेख किया गया है, उत्तर देने का समुचित अवसर मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने इस प्रयोजन के लिये जितना समय निर्धारित किया था वह पहले ही समाप्त हो चुका है। इस बारे में अब क्या किया जा सकता है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं इस सम्बन्ध में सभा के विचारार्थ यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि वह अधिक से अधिक एक घण्टा और समय लगा कर इस पर चर्चा समाप्त कर दें।

कुछ माननीय सदस्य : दो घण्टे।

श्री के० रघुरामैया : सरकार के प्रवक्ता और विरोधी पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने अभी अपने विचार प्रकट करने हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि 3.30 म० प० पर सरकारी कार्य पर चर्चा हो जानी चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं इस प्रस्ताव का और श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। श्री जार्ज फरनेडीज द्वारा लिखित यह लेख जघन्य विद्वेष-पूर्ण और झूठा है। अतः उनकी निन्दा की जानी चाहिये। उन्होंने एक महत्वहीन समाचार-पत्र में लेख लिखा है जिसकी कोई बिक्री नहीं है। सब से अच्छा तरीका यह है कि इस पर कोई ध्यान न दिया जाये। पहले भी एक बार 20-9-64 के "इण्डियन टाइम्स" नामक एक पत्र में आरोप लगाया गया था कि अध्यक्ष महोदय ने एक मकान बना लिया है और उपाध्यक्ष बनने के बाद बहुत सम्पत्ति इकट्ठी कर ली है, आदि। इस पर सभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तब सभा के सदस्यों ने और प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया कि किसी छोटे समाचार-पत्र द्वारा ऐसे घिनौने लेख पर ध्यान नहीं देना चाहिये। यही उसका दंड है क्योंकि उसका उद्देश्य अपना प्रचार करना है। बाद में वह प्रस्ताव समाप्त हो गया। अब प्रश्न यह है कि हमें इस लेख पर ध्यान देना चाहिये। यह बहुत ही घिनौना है। हमें उसकी निन्दा करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने 21 सदस्यों के लिये बहुत कुछ कहा है कि उनकी बदनामी हो रही है, उनके सम्मान को खतरा है आदि। उनके इरादे ठीक नहीं प्रतीत होते। वे श्री एल एन० मिश्र और प्रधान मंत्री के नाम को घसीट रहे ह। चर्चाधीन लेख और विरोधी पक्ष के सदस्यों के विचार मिलते जुलते दिखाई देते हैं। उनका कांग्रेसी सदस्यों के प्रति कोई प्रेम नहीं है।

हमें श्री जार्ज फरनेंडीज़ की निन्दा करनी चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मांग की गई है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। परन्तु क्या वह समिति इसके साथ न्याय कर सकेगी? इस समिति की शक्तियां बहुत सीमित हैं। सब से अच्छा यह होगा कि यह काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाये। हम इस एजसी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये। अतः मेरे विचार में हम इस पर चर्चा करके समय नष्ट नहीं करना चाहिये। हम लेखक की निन्दा करते हैं। और यदि आवश्यक समझा जाये तो हम इस बारे में संकल्प पास कर सकते ह।

Shri Jagnnathrao Joshi (Shajapur) : I do not understand the reason as to why the motion moved by Shri Piloo Mody and the amendment moved by Shri Madhu Limaye should be opposed. The question of privilege has been raised in order to know the facts of the case. Should he not establish healthy traditions ? We cannot justify corruption by saying that there is large scale corruption in the entire world. Shri Banerjee said that two Ministers are on the pay-roll of one Industrialist and when I said that I shall move a privilege motion against him, he replied that he was prepared to go to Privileges Committee. It is strange that no one contested such wild allegations. After all who will establish healthy conventions? Democracy is a game which must be played according to rules. Now the point is that this paper was to be published on 8th but it was published on 3rd so that it may search at distant places. Why? Who will look into this matter? If allegations are made and they do not contest or refuse that means the allegations are true *(Interruption)*. In view of this I would suggest that let this matter go before the Privileges Committee. They should not be afraid of it. Why are they so much hesitant? We have last faith in C.B.I. after the investigation of Din Dayal Upadhyay murder case. They have not been able to trace the culprit. Now this is a question of dignity of all members of the House. They should not oppose parliamentary probe. It is a burning topic of the day and the newspaper will continue highlighting our lapses. Therefore there should not be any delay in agreeing such a probe.

People have lost faith in C.B.I. This country has an old tradition of making investigations for the revealation of truth and such traditions should be upheld even today. The entire matter should be referred to the Privileges Committee for a thorough probe with a view to maintain the dignity of the House. Shri Madhu Limaye's amendment is very important and all the relevant papers in this matter should be submitted to the speaker.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : The paper has a very small circulation. Most of us have not even heard its name. Thus by bringing forth this motion in this House, the more has done thousand times more harm to the dignity of M.Ps. than what the paper 'Pratipaksh' has done to Parliament. A few days ago the editor of this paper in his foreign tour had stated that the Government had under taken nuclear test to divert the attention of the hungry people in the country which consisted to the extent of 60 percent of the total population in the country. Such persons deserve all contempt *(Interruptions)*. It is a political conspiracy of the opposition parties against the Government.

Congress members oppose the motion because the intentions and the motive behind the writing is to undermine the dignity of this House and the country.

The present motion is politically motivated step to achieve political end. It has nothing to do with the preservation of the dignity of the House. Instead of referring it to the Privileges Committee, Parliament should unanimously reprimand the newspaper.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्री ए० पी० शर्मा ने उस समाचार-पत्र की उपेक्षा करने की बात कही है जिसमें यह लेख प्रकाशित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिये श्री पीलू मोदी की भर्त्सना भी की जानी चाहिये। मेरा श्री पीलू मोदी के विचार अथवा सम्बन्धित समाचार-पत्र के

[श्री सेझियान]

महत्व अथवा महत्वहीनता से कोई सम्बन्ध नहीं है मैं तो केवल इस बात से चिन्तित हूँ कि लोगों ने इस सभा में जो विश्वास प्रकट किया है इसमें उनका विश्वास टूटता जा रही है। यदि हम सभा की गरिमा बनाये रखने में असफल रहेंगे तो लोग सभा को बुरी दृष्टि से देखेंगे और ऐसा समय शीघ्र आ रहा है जब किसी संसद सदस्य की ओर कोई देखेगा तक नहीं। वे अपना परिचय देने से भी कतरायेंगे।

इस मामले में जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा न करा कर संसदीय जांच की जानी चाहिये।

यह दलील दी गई है कि विपक्षी दलों के बिना भी संसद का कार्य चलाया जा सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं। विपक्षी दलों के बिना संसद केवल संसद मात्र होगी इसमें लोकतंत्र नहीं होगा। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उस विषय पर स्पष्ट चर्चा की जानी चाहिये।

बार बार यह कहा जाता है कि केन्द्रीय जाच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है। देश ने पांच महीने तक प्रतीक्षा की है। यह मामला जब राज्य सभा में उठाया गया तो मंत्री महोदय श्री चट्टोपाध्याय ने यह नहीं बताया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है बल्कि उन्होंने बताया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में गुप्त रूप से सत्यता की जांच कर रहा है। मंत्री महोदय को प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना चाहिये। सत्यापन का अर्थ है सम्बन्धित व्यक्तियों के हस्ताक्षरों का सत्यापन अर्थात इस बात की सत्यता का पता लगाना कि उक्त हस्ताक्षर वास्तविक हैं अथवा जाली। हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच संसदीय समिति द्वारा की जाये जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य हों। यह तो निश्चित ही है कि उक्त समिति में सत्तारुढ़ दल का ही बहुमत होगा। ऐसी स्थिति में सरकार संसदीय जांच समिति द्वारा जांच करवाने से क्यों घबराती है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : इस सम्बन्ध में एक विनिर्णय है कि किसी भी मामले को संसदीय समिति को सौंपने से पूर्व उक्त मामले में प्रारम्भिक जांच की जानी चाहिये और सदन के नेता को इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिये कि यह प्रत्यक्ष रूप से विशेषाधिकार समिति को सौंपने का मामला बनता है और तब इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये।

हमें इस मामले पर सभी दृष्टियों से विचार करना है। अतः इस पर पूर्णतया शान्तिपूर्ण ढंग से चर्चा होनी चाहिये कि एक संसदीय समिति गठित हो या नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जब इस सभा में किसी माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसकी जांच के लिये सी० बी० आई० द्वारा न होकर इसी सभा की एक समिति जांच कराना ही सही है जैसा कि श्री मुदगल के मामले में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : श्री मुदगल का मामला 1951 में हुआ था और 31 मई 1967 को लोक सभा के अध्यक्ष ने एक विनिर्णय दिया था जिसके अनुसार यदि किसी सदस्य अथवा मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप हो तो उस मामले को किसी संसदीय समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करने के पहले एक प्रारंभिक जांच द्वारा पहले यह देखा जाये कि क्या कोई मूल मामला बनता भी है अथवा नहीं क्योंकि इसके बिना कोई प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता। नियम 184 के अधीन पेश किये गये प्रस्ताव पर जिसमें मंत्री मंडल के कुछ सदस्यों पर बिड़ला बंधुओं के वेतन भोगियों की सूची

में होने का आरोप लगाया था परन्तु उन सदस्यों के नाम नहीं दिये गये थे, अपना विनिर्णय देते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि माननीय सदस्य ने मंत्रियों के नाम नहीं दिये हैं और उनके चरित्र की जांच के लिये समिति के पहले कुछ प्रारंभिक प्रक्रियाओं का अनुसरण भी करना होता है। वर्ष 1951 में श्री एच० जो० मुदगल जो कि उस समय अस्थायी संसद से सदस्य थे, के मामले में भी यह निर्णय हुआ था कि जांच के लिये समिति के गठन से पूर्व आरोप लगाने वाले को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिये अर्थात उसके लिए उसके पास अधिकृत प्रमाण दस्तावेजी प्रमाण हों कि व आरोप तथ्यों पर आधारित है; अन्यथा यदि वे आरोप गलत सिद्ध हुए तो उल्टे आरोप लगाने वाले सदस्य के विरुद्ध ही विशेषाधिकार भंग होने का मामला चल सकता है। अतः यह जरूरी है कि ऐसे आरोपों की कुछ जांच पहले हो।

ऐसे कथित आरोपों के बारे में यदि प्रधान मंत्री संतुष्ट हो जाती हैं कि उक्त आरोपों का कुछ आधार है और अभियुक्त सदस्य को प्रधान मंत्री के सामने अपनी स्थिति साफ करने का अवसर दिया जाता है तब उसके बाद प्रधान मंत्री अपने निष्कर्ष सहित वह मामला सभा के सामने पेश करता है। अब यदि अध्यक्ष यह समझे कि उस मामले में आधारभूत कुछ सचाई है तब एक प्रस्ताव के आधार पर उस मामले में संसदीय जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जा सकती है।

परन्तु यदि ऐसे आरोप के प्रारंभिक जांच के समय यह सिद्ध होता है कि आरोप लगाने वाले ने गलत जानकारी दी है तथा अभियुक्त को बदनाम करने का प्रयास किया है तो उस पर यह सभा के विशेषाधिकार को भंग करने का दोषी माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय ने इस प्रक्रिया का अनुसरण करने का विनिर्णय दिया।

इसके पश्चात श्री मधु लिमये ने खड़े होकर कहा था "मैं यह विनिर्णय स्वीकार करता हूँ।" और वह स्वीकार हो गया था। अतः उक्त निर्णय के अनुसार वह आरोप लगते ही संसदीय समिति गठित न होकर एक प्रारंभिक जांच पहले होनी चाहिये तथा कोई मूलभूत मामला बनने पर भी आगे कार्यवाही हो। अब वह प्रारंभिक जांच कैसी हो इसका निर्णय सभा के नेता तथा अध्यक्ष महोदय करते हैं। परन्तु प्रारंभिक जांच अवश्य होनी चाहिये।

Shri Shankar Dayal Singh : The time for this discussion was upto 3-30 P.M. It is already 3-30 P.M. How long will it go?

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : स्टीफन साहब को इतना बड़ा उद्धरण देने की जरूरत नहीं थी. जब सभा के सामने प्रस्ताव आ ही गया है तब प्रारंभिक जांच का प्रश्न कहां रह जाता है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : उपरोक्त विनिर्णय की रोशनी में यह प्रस्ताव आता हि कहां है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है उसे अस्वीकार नहीं किया है। उस पर तो चर्चा भी हो रही है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order, I have brought here Mudgal Report.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। श्री सेझियान बोल रहे हैं और यह नियमानुसार है। उसके बाद ही दूसरे सदस्य बोल सकते हैं। (**व्यवधान**) इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? कृपया सब्र कीजिये और बैठ जाइये। आप बाद में आये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह पुस्तकालय गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था यह है कि श्री सेझियान बोल रहे थे और उनकी सम्मति पर ही श्री स्टीफन ने बीच में कुछ बोला था ।

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय जांच के बारे में जो स्वीकृत प्रस्ताव आया है और जो मुदगल प्रस्ताव था वे दोनों एक समान है। आप उन पर निणय दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय दे दिया है ।

श्री मधु लिमये : क्या आपने मुदगल प्रस्ताव पढ़ा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन नहीं है ।

श्री मधु लिमये : उन्होंने मुदगल कमेटी के संदर्भ में बीच में बोला है। मैं भी अपने व्यवस्था का प्रश्न करने का हकदार हूँ मुझे मुदगल प्रस्ताव पढ़ने दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाहिये । अब यदि वह आपको भी बीच में बोलने पर सहमति व्यक्त करें तो भी यदि मैं देखूं कि सभा की कार्यवाही में व्यवधान पड़ता है तो मैं रोक सकता हूँ। मैं इस की अनमति नहीं दे सकता। किसी उचित समय पर आपको बोलने की अनुमति मिल सकती है ।

श्री सेझियान : मैंने श्री स्टीफन को अपने भाषण में हस्तक्षेप करने का अवसर इसलिये दिया था क्योंकि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ तथा सब के विचार जानने को उत्सुक होता हूँ। परन्तु उन्होंने भी एसी कोई बात नहीं कही जिससे कोई निष्कर्ष निकलता। उन्होंने पूछा था कि क्या कोई आधार-भूत मामला बनता है जबकि उन्ह मालूम होना चाहिये कि यदि ऐसा न होता तो सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने को क्यों कहती ?

दूसरे श्री बाजपेयी तथा अन्य सदस्यों द्वारा रखे गये प्रस्ताव तथा इस प्रस्ताव में बड़ा अन्तर है। अध्यक्ष महोदय ने भी दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा सब सभा के नेता के सलाह से उस पर चर्चा के लिए समय नियत किया जाना है परन्तु हमारी मूलभूत शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया है। शायद शोर में मेरा स्वर आपको सुनाई नहीं दिया। अब हम विचार के चरण तक पहुंच गये हैं और विशषाधिकार का प्रश्न स्वीकार हो गया है। अब हम नियम 226 के अधीन विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार कर रहेह और निर्णय किया जाना है कि इस सभा में चर्चा हो या इसे विशषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

कभी कभी सभा स्वयं भी निर्णय कर लेती है जैसे यदि कोई सभा में पीछे से पर्चे फेंके तो सभा उस सम्बन्ध में निर्णय स्वयं कर लेती है क्योंकि उसे सभी तथ्य मालूम हैं। परन्तु यदि कोई मामला गंभीर है, उसकी पूरी जांच पड़ताल की जानी है तो फिर वह मामला एक संसदीय समिति को सौंप दिया जाता है। अब यदि सत्तारुढ़ दल विचाराधीन मामले को सभा द्वारा ही निर्णीत कराना चाहती है तो फिर वह सारी पृष्ठभूमि बताये कि ज्ञापन में क्या था, इसमें नीति के परिवर्तन के लिये क्या कहा गया था, मंत्रियों ने क्या सिफारिश की आदि आदि संसद सदस्यों को पत्र के उत्तर में पावती प्राप्त होती है। यदि वह इस मामले में नहीं भजी गई तो क्यों नहीं भेजी गई ? म यह भी जानना चाहूंगा कि उन 21 संसद सदस्यों के ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई। य सभी संबंधित मामले हैं जिनकी जानकारी कोई निर्णय लेने से पहल जरूरी है। सत्तारूढ़ दल केवल बहुमत के आधार पर चर्चा नहीं रोक सकता। यह दलगत

मामला नहीं है। वे सदस्य यहां मौजूद हैं और सम्भव है कल को वे मंत्रीमंडल में भी शामिल हो जाये। इस प्रकार यह सारी सभा की प्रतिष्ठा की बात है। मुदगल के मामले में मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पष्टवादिता की प्रशंसा करनी होगी उन्होंने इसे दलगत मामला नहीं बनाया तथा संसद को यह मामला सौंप दिया था। उस पर चर्चा हुई थी। अत: मेरी सभा के नेता से अपील है कि वह संसद को अंधेरे में न रखें इससे संसदीय लोकतंत्र के विश्वास को ठेस पहुंचती है। लोग अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि संसद् समस्याओं को हल नहीं कर सकती। इससे संसद की प्रतिष्ठा को दाग लगता है। अत: कृपया संसद को बदनाम होने से बचाये तथा देश में लोकतंत्र की रक्षा करें। एक दो व्यक्तियों को बचाने के लिये आप संसद की अवहेलना न करें तथा कम से कम इस बारे में चर्चा तो अवश्य कराय अन्यथा फिर हमें देश की संसद कौन कहेगा ?

Shri Madhu Limaye : Although I now do not raise my point of order. But I would like to read the motion of Shri Vajpayee...

उपाध्यक्ष महोदय : वह वितरित हो गया है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I won't read in full. Shri Vajpayee wants a Parliamentary Committee to examine the entire matter. Shri Jyotirmoy Bosu wants to investigate into the charges. Shri Hari Kishore Singh of Congress wants "Partliamentary Committee to go into all questions", and I want that "This House resolves to set up a Committee to probe the following":

Pt. Jawahar Lal Nehru, the father of the present Prim Minister used to move in such matters (*Interruptions*).

Now they are being exposed, therefore they want to stop me. I would quote Pt. Nehru otherwise my point of order would not be made.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है। इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : महोदय ! यह प्रस्ताव षड़यंत्र के रूप में लाया गया है तथा इसका उद्देश्य चरित्र हनन है। सभा के 21 सदस्यों ने एक-एक करके यह कहा है कि हमने हस्ताक्षर नहीं किये। हम उन पर किस प्रकार अविश्वास कर सकते हैं।

अत: मैं मानता हूँ कि श्री पीलू मोदी का प्रस्ताव विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं है। आश्चर्य की बात है कि एक पत्र को, जिसे नियम 222 के अन्तर्गत सूचना के रूप में लिखा गया था, प्रस्ताव के रूप में किस प्रकार बदल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा अध्यक्ष तथा सभा के निर्णय के आधार पर किया गया था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कहा गया है कि किसी प्रकाशन का कानूनी दायित्व प्रकाशन की तिथि से और उसके पश्चात ही आरम्भ होता है। श्री पीलू मोदी मेरे विचार से हिन्दी नहीं जानते और इस पत्र के आधार पर कहते हैं कि यह विशेषाधिकार का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन ! क्या आप हिन्दी पढ़ सकते हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी, हाँ। **(व्यवधान)** जो माननीय सदस्य स्वयं नहीं जानते कि उस में क्या लिखा है। उनकी अचानक सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना कहां तक न्यायसंगत कहा जा

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

सकता है। इसके अतिरिक्त यह मामला प्रकाशन की तिथि से सात दिन पहले उठाया गया है। यह सब एक षड़यंत्र है। मेरा सुझाव है कि इस पत्र से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

पिछले सत्र में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 'अर्गनाइजर' के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसने मेरे तथा श्री सतपाल कपूर और श्री शशिभूषण के विरुद्ध झूठे आरोप लगाये थे। किन्तु उस समय अध्यक्ष महोदय तथा अन्य माननीय सदस्यों ने मुझे प्रस्ताव वापस लेने के लिये कहा तथा मैंने उसे वापस ले लिया। उस समय उस मामले को विशेषाधिकार का मामला नहीं माना गया किन्तु अब इसे माना जा रहा है। ये लोग देश में व्याप्त आर्थिक संकट का लाभ उठाकर सरकार तथा माननीय सदस्यों के विरुद्ध नितांत झूठे आरोप लगाना चाहते हैं। हम उन्हें इसकी अनुमति नहीं देंगे। यदि उन्हें इस प्रकार चरित्र हनन करने की अनुमति दी जाती रही तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि विपक्षी दल का एक प्रवक्ता इस समाचार पत्र के शेयरों को हथियाने की चेष्टा कर रहा है तथा इस में 20 लाख रुपयों की राशि का सवाल है। दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यकर्ता ने आत्म हत्या की थी किन्तु हमने ऐसी बातों को कभी सभा में नहीं उठाया। हमने कभी राजनीतिक प्रतिशोध नहीं दिखाया जैसा कि विपक्ष के सदस्य करते हैं। सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किये जाने से बार-बार इनकार किया है किन्तु फिर भी इस . . .

श्री मधु लिमये (बांका) : क्या श्री तुल मोहन राम ने भी इनकार किया है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह अभी तक सभा में नहीं आये। पिछले ही दिन विधि मंत्री ने सभा को यह जानकारी दी थी कि मामला दर्ज किया गया है तथा उपयुक्त एजेंसी द्वारा उसकी जांच की जा रही है। इन आश्वासनों के उपरांत भी विपक्ष के सदस्य हम पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल राजनीतिक सांठगांठ है तथा इस प्रकार में लोग प्रजातंत्र प्रणाली के मूल ढांचे पर कुठाराघात करना चाहते हैं। ये लोग संसदीय जांच की गलत प्रक्रिया आरम्भ करना चाहते हैं।

मैं अभी 'स्वराज्य संदेश' नामक पत्र पढ़ रहा था तथा उसमें लिखा हुआ है कि 'क्या प्रतिपक्ष के संसद् सदस्य लोकसभा और राज्य सभा में पूंजीपतियों और मंत्रियों के दलाल नहीं ?' क्या इस की भी जांच की जाये ? कल को यह इसकी जांच की मांग भी कर सकते हैं। यदि सभा में इस प्रकार की घटनाओं के आधारपर विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये जाते रहे तो प्रजातंत्र प्रक्रिया हास्यास्पद हो जाएगी। बहुमत द्वारा अल्पमत को दबाये जाने का कथन भी निराधार है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री पीलू मोदी का विशेषाधिकार का प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण है। किन्तु इसके अंतिम पैराग्राफ में लिखा है 'कि मुझे इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाने के लिये प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाये।' मैं श्री मोदी से जानना चाहूंगा कि क्या विशेषाधिकार प्रस्ताव इस रूप में दिया जाता है ? श्री मधु लिमये ने इससे सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को अध्यक्ष महोदय के अधिकार में दिये जाने के बारे में उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे आश्चर्य है कि जब श्री मधु लिमये ने विभिन्न सरकारी दस्तावेजों का उल्लेख किया था तब सत्तारुढ़ दल के किसी भी सदस्य ने उनका खण्डन नहीं किया तथा उन्हें सभा पटल पर रखे जाने की मांग नहीं की। इससे विदित होता है कि उन्होंने अवश्य कोई घोटाला किया है।

मुझे इस घटना पर अत्यंत दुःख है क्योंकि इससे संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा पर इसने कुठाराघात किया है। लोगों को हमारे आचरण पर आशंकाएं उत्पन्न होने लगी हैं। अतः इस मामले की जांच सर्वदलीय समिति द्वारा करायी जानी चाहिये।

सरकार ने 'सत्यमेव जयते' अपना आदर्श बनाया है। अशोक महान धर्मचक्र प्रवर्तनाम का आदर्श अपनाया था और उसका धर्म से तात्पर्य न्याय से था। उसने अपने शासनकाल में न्याय को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। किन्तु इस सरकार ने 'सत्यमेव जयते' आदर्श बनाकर भी न्याय को कोई स्थान नहीं दिया।

जनता की दृष्टि में भारतीय संसद का स्तर पहले इतना कभी नहीं गिरा जितना अब गिर गया है। श्री ए० पी० शर्मा ने श्री फर्नान्डीज द्वारा विदेशों में व्यक्त किये गये विचारों का हवाला दिया है। मेरे विचार से विदेशों में अपने विचार व्यक्त करने में कोई दोष नहीं है। यदि 'प्रतिपक्ष' समाचारपत्र को को पीत पत्रकारिता मान भी लिया जाए तो क्या टाइम्स आफ इंडिया, स्टेटसमैन और हिन्दुस्तान टाइम्स आदि अन्य समाचारपत्र भी पीत पत्रकारिता का अनुसरण करते हैं क्यों कि उनमें भी इसी प्रकार के सम्पादकीय प्रकाशित हुये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले की जांच सी० बी० आई० से क्यों कराना चाहती है तथा संसदीय समिति की जांच से क्यों घबराती है।

'इंडियन एक्सप्रेस' ने इसे "बुरा उदाहरण" बताया है तथा आगे कहा है कि दलीय हितों को सिद्धांतों से अधिक महत्व दिया गया है।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में भी वही बात लिखते हुए आगे कहा है कि सर्वत्र विद्यमान भ्रष्टाचार का यदि उन्मूलन नहीं किया गया तो राष्ट्र का बना रहना कठिन होगा।

पिछले 27 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में मेरा सम्बन्ध किसी भी पार्टी से नहीं रहा है। मैं शासक दल से निवेदन करता हूं कि वे प्रजातंत्र के हित में दलीय दृष्टिकोण न अपनाये।

विशेषाधिकार का मामला किसी एक दल से संबंधित नहीं है और न ही यह बहुमत अथवा अल्पमत का मामला है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो फिर भी केन्द्रीय प्रशासन का अंग है।

कल इधर के कुछ सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे वह संसदीय जांच के लिय कतई तैयार नहीं हैं। कारण यह है कि संसदीय जाँच से सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। स्वतंत्र संसदीय समिति द्वारा वायु मंडल शीघ्र स्वच्छ हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री मोदी के प्रस्तावों का श्री मधु लिमय के संशोधनों सहित समर्थन करता हूँ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सदन में खुले रूप से परामर्श किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्री श्यामनन्दन जी ने सभा की गरिमा का प्रश्न उठाया है। एक मंत्री अपने अधिकारियों से अधिकारी-वर्ग गलरी में बातचीत कर सकता है। क्या कोई सदस्य भी इस प्रकार बातचीत कर सकता है?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : यह सही नहीं है। सदस्य कहां पर संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । जहां तक मुझे स्मरण है कुछ परामर्श होते है जोकि मैं समझता हूं सदा होत रहते ह । परन्तु यदि कुछ अधिकारियों को वाद-विवाद में घसीटा जाता है तो यह अत्यंन्त अनियमित है ।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (शिशनगंज) : क्या यह व्यवस्था का अन्य प्रश्न है ? क्या आप इस प्रकार सभा का समय नष्ट होने देंगे ?

श्री समर गुह : मैंने पूछा था कि क्या जब सभा में वाद-विवाद चल रहा हो, तब अधिकारी गलरी में अधिकारियों से बातचीत की जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार मैंने देखा है कि सदस्य इकट्ठे होकर बातचीत करने लग जाते हैं और कभी कभी मुझे उनसे मार्शल दव्वारा उनसे अलग अलग होने के लिये निवेदन करना पड़ता है । हमें इस प्रकार की आदतों से बचना चाहिए ।

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगड़) : कई सदस्य ऐसे मामलों में वाद-विवाद करते हैं तथा सभा का समय नष्ट करते हैं ।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : उन्होंने आपके नोटिस में पहले क्यों नहीं ला दिया । इस प्रकार सभा का समय नष्ट करने का क्या लाभ है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्री पीलू मोदी ने सभा के एक कोने में प्रधान मंत्री सचिवालय के एक अधिकारी के साथ हो रही बैठक का उल्लेख किया । पीठासीन अधिकारी को इस बात पर निर्णय लेना है कि क्या किसी बाहर के व्यक्ति के साथ इस प्रकार बातचीत की जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया हैं । कभी कभी चार-पाँच सदस्य एकत्र हो जाते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां कोई बैठक नहीं हुई है । मैं आ रहा था और मैंने कुछ पत्र मांगे । दो अन्य सदस्य भी मेरे साथ आ रहे थे, वे भी रुक गये । किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस मामले को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री सी० एम० स्टीफन : सभा के समक्ष मामला सरल भी है और कठिन भी है । सरल इस लिये कि हमें केवल इस बात पर विचार करना हैं कि उक्त समाचार पत्र की रिपोर्ट को सभा का अवमान समझा जाय । पिछले वर्ष से एक और कांग्रेस पार्टी तथा दूसरी ओर विरोधी पक्ष विशेष प्रकार से कार्य कर रहे हैं । अपने बहुमत का ध्यान रखते हुए हमने अपना कर्त्तव्य सही रूप से निभाया है तथा विरोध को भी ऐसा करने का अवसर दिया है ।

[**श्री इसहाक सम्भली** पीठासीन हुए ।
SHRI ISHAQUE SHAMBHALI *in the Chair*]

अब एसा लगता है कि प्रत्येक कार्यवाही के लिये हमे श्री बसु तथा श्री मिश्र से स्वीकृति लेनी होगी । विरोधी सदस्यों की संख्या कम होने के कारण उसे अधिकाधिक अवसर दिया जा रहा है ।

इस स्तर को एक सप्ताह के लिये बढ़ाया गया ताकि सामान्य बजट, रेलवे बजट, बोनस विधयक, गुजरात और पांडिचरी बजट को पारित किया जा सके ।

हमने देखा कि जब कभी भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठा है विपक्ष में प्रतिक्रिया हुई हैं। मैं इस मामले के विवरण में नहीं जाना चाहता । एक छोटे समाचार पत्र ने प्रकाशित कर दिया इससे क्या लोगों के दिल में इस सभा की प्रतिष्ठा घट जायगी । मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोग इस पर हसेंगे ।

क्या कोई भी सदस्य या व्यक्ति कभी यह महसूस कर सकता है कि संसद् एक वेश्यालय है ? यह समाचार एक ऐसे समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है जिसे इस देश के दो आदमी भी नहीं जानते । ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी पार्टी के सदस्य सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के बजाय उसे नष्ट करने के इच्छुक हैं । इसमें 21 संसद् सदस्यों के हस्ताक्षरों का मामला उठाया गया है। वे संसद् सदस्य सदन में इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं । अगर आप पत्र की बात को सही मानते है तो उन्होंने सही बात कही है और यह विशेषाधिकार प्रस्ताव सारहीन है और अगर ससद् सदस्यों के वक्तव्य को सही मानते हैं, तो विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हमें इस सारे मामले को निन्दा की दृष्टि से देखना चाहिये । इस सदन को प्रत्येक निन्दनीय बात पर विचार नहीं करना चाहिए । तीसरी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने आठवें प्रतिवेदन में श्री जार्ज फर्नांडिस के मामले पर विचार करत हुए यह कहा था कि पूर्वाग्रह मुक्त राय या आलोचना की निर्बाध अभिव्यक्ति को निरुत्साहित करने के लिये संसदीय विशेषाधिकार के कानून का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों के बारे में भी संसदीय जांच नहीं की जानी चाहिये जिनसे उन्हें अनावश्यक रूप से महत्व मिलता हो । इसी प्रकार का निर्णय एक अन्य मामले के बारे में किया गया था, यद्यपि उस मामले में उस व्यक्ति के वक्तव्य से सदन का पूर्णतः और सरासर अपमान होता था, परन्तु उस वक्तव्य पर चर्चा करने से उस व्यक्ति को अनावश्यक रूप से महत्व मिलता । उस समय यह निर्णय किया गया था कि उस व्यक्ति की निन्दा करने का प्रस्ताव कोई भी सदस्य पेश करे । इस मामले में भी हमें वही प्रक्रिया अपनानी चाहिये । मैं इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध करता हूं कि उससे अवांछित वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों को महत्व मिलता है ।

श्री मधू लिमये के संशोधन का मैं विरोध करता हूँ । मुदगल के मामले में पं० नेहरू ने पहले प्रारंभिक जांच की थी और प्रत्यक्षतः मामला बनने पर ही सदन में प्रस्ताव पेश किया गया था ।

हस्ताक्षरों के सही होने या न होने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से प्रारंभिक जांच कराई जानी चाहिये । इसलिये जो निर्णय किया गया है वह सही निर्णय है । यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव शरारतपूर्ण और दुराग्रहपूर्ण है और सदन की गरिमा की रक्षा करने के बजाय एक व्यक्ति विशेष का प्रचार करने के उद्देश से लाया गया है ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): When I was elected to this House, I had thought that the conduct and behaviour of the Members and Ministers would be ideal and pious, and the allegation of Shri George Fernandes is dirty and filthy. But it seems that the Members of the ruling party are proud of their strength so much so that one of the Members said that they can work without the opposion. It was also said that whatever has

[Shri Janeswar Mishra]

been published in this small paper should be ignored. This House has been termed a "brothel house" and it is a very serious matter. It should not be ignored. The proprietor and the editor of this paper "Pratipaksh" should be summoned here and be examined.

Shri Sharma has said that dirt cannot be washed by dirt. This means that they have admitted that they are dirty. It has been alleged that this House is a "brothel house" and "a den of touts and thieves" But they are not prepared to refer the matter to the Privileges Committee and they are alleging that the oppositin is wasting the time of the House. If the matter would have been referred to the Privileges Committee, no time of House could have been wasted.

A news item has been published under the Caption "Disclousure of Indira Nagra Collusion" and it has been alleged that a particular Minister is involved in it and he got it signed by 21 Members. Why is it so that allegations of taking illegal gratification or bribe are made against a particular Minister?

Shri Madhu Limave has given an amendment that all the documents and paper relating to licence. Scandal be handed over to the Honourable Speaker, but the Government could have tempered with all the documents, during the last three days. This matter should not only be referred to Privileges Committee, but there a public enquiry should also be carried out. Twenty one Members, while giving their statements had asked for Parliamentary Probe, but after two days these Members withdrew their demand of Parliamentary Probe. We can not think of abolishing poverty unless public life is freed from dishonestey and Corruption. The Prime Minister has stated that this matter would be enquired into by C.B.I. instead of a Parliamentary Committee. C.B.I. is working under you and it cannot write against you. A Parliamentary Committee consisting of independent Members might be appointed and a Public enquiry should be made into all the charges. We would be very much happy, if 21 Members and Shri Lalit Narain Mishra are exonerated of all the Charges.

Shri H. R. Gokhle has said that a suit has been filed against the culprits and those found guilty would be punished. They want to escape by saying that the matter is subjudice. The Magistrate cannot be more powerful than the Parliament. The Paper "Pratipakhsa" has said that this House is like a "brothel house," but even brothel house has some rules and ethics. I would like to say that the ruling party has made this House worse than a brothel house. This matter must be referred to the Privileges Committee.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागारा) : इन्होंने इस सदन के बारे में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है । मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दें । इन्होंने सदन का अपमान किया है ।

Mr. Chairman (**Shri Ishaque Sambhali**) : You should withdaraw the words "brothel house".

Shri Janeshwar Mishra : Question does not arise . . . (*Interruptions*)

Mr. Chairman : You would admit that the words used by the paper have not been liked by the House. You are a senior Member of the House. Would you not like that these words be expunged? I would request you to withdraw these words.

Shri Janeshwar Mishra : If you want that these words should not be used, I would withdrawthem.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या ये शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिए गए है अथवा वापस ले लिये हैं ?

सभापति महोदय : उन्होंने शब्द वापस ले लिये हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : "टाइम्स आफ इंडिया" के सम्पादकीय में इन शब्दों को पढ़कर मैं आज अत्यधिक उत्तेजित हो गया । मैं सोच रहा था कि संसद सदस्यों की आत्मा की आवाज को क्या हो गया है। आज का नवयुवक भी उत्तेजित है और वह सोचता है कि इस सदन में कोई घटना हो गयी है इसलिये इस पर चर्चा नहीं की जा रही है ।

"लाइसेंस घोटाले" के बारे में हर समाचर पत्र में चर्चा है और चार चार कालमों में समाचार तथा सम्पादकीय लिखे जा रहे हैं । आज जनता यह महसूस कर रही है कि हम उनके प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों और मानदण्ड को कायम रख सकने में असफल रहे हैं ।

श्री मधु लिमये ने यह मामला सदन की प्रतिष्ठा के रूप में उठाया था और पहली बार सारे सदन ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना था । उस समय सभी कांग्रेस सदस्यों ने संसदीय जाँच करने की माँग का समर्थन किया था । 21 सदस्यों में से 17 सदस्य बिहार के हैं और सभी सदस्य श्री एल० एन० मिश्र के बहुत निकट हैं । हमने इसे सदन की ओर संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर उठाया था, परन्तु न जाने क्या जादू का डण्डा घुमा दिया गया कि अनेक कांग्रेसी सदस्यों ने संसदीय जाँच की माँग का विरोध करना शुरू कर दिया ।

आज सभी समाचारपत्रों के सम्मुख यह प्रश्न उठा है कि संसद सदस्य, विशेषतया कांग्रेस दल के, इस मामले के समर्थन क्यों कर रहे हैं ? आप अपने दल के सदस्यों को चुप रख सकते हैं परन्तु जनता को किस प्रकार सन्तुष्ट कर सकेंगे । टाइम्स आफ इंडिया, स्टैटसमैन, हिन्दुस्तान टाइम्स और सभी समाचारपत्रों ने दलील दी है कि सरकार संसदीय जांच के लिए चर्चा कराने से डरती है ।

यह मामला लोकतांत्रिक आदेशों से सम्बन्धित है । संसद उन आदेशों का प्रतिरूप है। यदि कोई संसद के नाम को बदनाम करता है तो उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिये । जब कभी कोई छोटी मोटी पत्रिका कुछ ऐसी बात छापती है तो उसे सभा में उठाया जाता है और पत्रिका से क्षमायाचना करने को कहा जाता है । परन्तु इतनी गम्भीर बात हो जाने पर भी श्री जार्ज फर्नांडीज़ के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । इससे जनता के मन में शंका उत्पन्न होगी कि सरकार संसदीय जांच से डरती है क्योंकि इससे कोई गंभीर रहस्योद्घाटन होंगे ।

सत्तारूढ़ दल जनता के समक्ष और प्रेस के समक्ष दोषी है। यदि सरकार एक संसदीय निकाय द्वारा जांच नहीं कराना चाहती तो जनता शासन दल को एक बड़ा अपराधी समझेगी।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : 'प्रतिपक्ष' का यह अंक 8 सितम्बर का है । इसे प्रकाशन की तारीख से पांच दिन पूर्व 2 या 3 सितम्बर को किस प्रकार बांटा गया । क्या जानबूझकर ऐसा किया गया है ? क्या श्री जार्ज फर्नांडीज़ रेल हड़ताल की विफलता के कारण कांग्रेसी सदस्यों और संसद् पर प्रहार करना चाहते हैं ? क्या चुनाव में परास्त हो जाने के बाद कल ऐसी कार्यवाहियां करना चाहते हैं ?

[श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य]

जब भी कोई गलत बात होती है प्रतिपक्षी दल उसे सी०बी०आई० की जांच के लिये भेजने की मांग करते हैं । मैं तो यह कहूंगा की विशेषाधिकार समिति के पास नहीं अपितु संसद में ही इसकी जांच हो । संसद इस विषय पर चर्चा करे और यहां ही कोई निर्णय किया जाना चाहिये ।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : Sir, It is clear that tnose who are raising a privilege issue are reducing this dignified institution of Parliament to a mockery. Why the frustrated Politicians want to establish that Parliamentary System of Government in India is deteriorating. Such People should be condemned. The action should be taken against Shri George Fernandes, the editor of the 'Pratipaksh'.

The Crux of the matter is, that if somebody termishes the immage of this House and his charges are not substantiated then the action against the person concerned should be taken by this House itself.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : "प्रतिपक्ष नामक" साप्ताहिक में लिखे गये इस लेख का स्वरूप अपमानजनक है । अप्रत्यक्ष ढंग से तथा षड़यंत्र से फलस्वरूप इस मामले को अब विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात की जा रही है । अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करने का इरादा है वह ऐसा है कि जिसे विपक्षी दल प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा सकते । साथ ही संसद सदस्यों तथा संसद् के विरुद्ध प्रयुक्त अशोभनीय भाषा से निःसंदेह विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तथा सभा का अपमान होता है । इस बारे में दो मत नहीं हो सकते ।

लेख का अपमानजनक स्वरूप स्पष्ट है। इस बात को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 'प्रतिपक्ष' के इस लेख को पढने मात्र से ही कोई समझदार व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यह अपमानजनक और बुरा लेख है। इसलिए इस बारे में दो राय नहीं हो सकती और इसकी भर्त्सना करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

अतः मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का जो हम विरोध कर रहे है उसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम इसे क्षमा कर रहे है। इसके विपरीत हम इसकी जोरदार शब्दों में निन्दा करते हैं।

किन्तु हम जानते है कि इस प्रस्ताव को राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर लाया गया है। दुर्भाग्यवश मुझे यह बात अवश्य स्वीकार करनी चाहिये कि विरोधी पक्ष के सदस्य इस बारे में कुछ ईमानदार रहे हैं कि उन्होंने अपने भाषणों में इस तथ्य को गुप्त नहीं रखा है कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का तात्पर्य एक सर्वथा भिन्न मामले की जांच करवाना है, क्योंकि वे जानते है कि वे इस उद्देश्य को सामान्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। विशेषाधिकार के प्रश्न को किसी अन्य मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिये। इसे सभा के सदस्यों के कथित जाली हस्ताक्षरों तथा लाइसेंस देने आदि से संबंधित मामलों से पृथक रखा जाना चाहिये।

सरकार को इस सदन के सदस्यों और संसद की गरिमा और सम्मान की उतनी ही अधिक चिन्ता है जितनी कि इस सभा के सभी सदस्यों को है। यही कारण है कि सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने के बारे में पहले ही कार्यवाही कर ली थी और एक प्राथमिकता सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इस रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतीत

होता है कि कुछ अपराध किया गया है और इस सम्बन्ध में मामला दायर कर दिया गया है और इस बारे में उपयुक्त जांच की जा रही है । इस जांच के फलस्वरूप यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध हुआ है तो यह मालूम किया जा सकता है कि अपराधी कौन है और अपराधियों को विधि न्यायालय में पेश करने को सुनिश्चित करने के लिये हर प्रयास किया जायेगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरों को शीघ्र जांच करने और इसे शीघ्र पूरा करने के लिये अनुदेश दिये गये हैं।

मैं सभा को यह आश्वासन देना चहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के परिणाम का पता लगते ही सरकार इस सदन को अपने विश्वास में लेगी और उस स्थिति में यह विचार करना उचित होगा कि माननीय सदस्यों के अधिकारों के लिये क्या उपयुक्त पग उठाये जाने चाहिये ।

संसद सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार का बहुत अधिक महत्व है उनकी रक्षा करना आवश्यक है, ताकि वे स्वतंत्र संसद सदस्यों के रुप में अपने कार्यों को कर सकें ? मैं सभा को यह आश्वासन देता हूँ कि सरकार इन अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित बनाये रखने का पूर्ण प्रयास करेगी ।

मैं एक बार पुन: यह कहना चाहता हूं कि हम भी उस ढंग की निन्दा करत है जिससे हम साप्ताहिक के सम्पादक ने इस सभा के माननीय सदस्यों का उल्लेख किया है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : विधि मंत्री महोदय ने कहा है कि 'प्रतिपक्ष' के बारे में दो राय नहीं हो सकती है और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, वह निन्दनीय है। उनके दल के अनेक सदस्य भी सहमत हैं । परन्तु अब अचानक उन्हें यह मालूम हुआ है कि इस प्रस्ताव को पेश करने का कुछ और उद्देश्य था।

मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस लख के लिखने का कोई अन्य उद्देश्य था। किन्तु इस मामले के बारे में तथ्य यह है कि यह सभा अवश्य ही इस मामले की ओर ध्यान दे और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। मेरा प्रस्ताव प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में है। इसे अवश्य ही विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये। इस बारे में पांच मिनटों में निर्णय किया जा सकता था । किन्तु आप के मन में डर है, इस लिये आप यह नहीं चाहते । आपका भारी बहुमत है। क्या इससे सच्चाई को झुटलाया जा सकता हैं। क्या इससे लगाये जा रहे दोष से किसी को निर्दोष सिद्ध किया जा सकता है। आप इस देश के धोखा दे रहे हैं और पक्षपात-पूर्ण ढंग से लाइसेंस दे रहे हैं। ये वे ही चालीस चोर है जो बार बार खडे हो रहे हैं और अब 41वां चोर खड़ा हो रहा है ।

Mr. Chairman : You have used unparliamentary words. Please withdraw the words 'Ek so Chaliswan chor' (140th thief).

श्री पीलू मोदी : जब तक मैं आपकी बात न समझ लूं, तब तक मैं कुछ भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं। मैंने 'इकतालीसवां चोर' का प्रयोग किया है ।

Mr. Chairman : Whether it is proper to call a Hon'able Member as 40th or 41st 'Chor' would appeal to you to withdraw it.

श्री पीलू मोदी : आप मुझे इसे वापस लेने के लिये कह कर अपने अधिकारों से आगे जा रहे हैं क्योंकि सभा में बहुमत की यह राय है कि वह रिपोर्ट, जिसमें प्रत्येक संसद सदस्य को 'चोर' बताया गया है, विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं है?

Mr. Chairman : Do you think that the words used in the said report for Members of Parliament are justified?

Shri Pilloo Mody : I am not able to understand as to what you want.

सभापति महोदय : मैं आप से इन शब्दों को वापस लेने की अपील करता हूं।

श्री पीलू मोदी : यदि 'चोर' शब्द पर अपराध भावना वाले मेरे मित्रों को आपत्ती है तो मैं 'थीफ' शब्द इसके स्थान पर रख देता हूं। यदि इसे भी अनुमति प्राप्त नहीं है तो मैं उन्हें 'लुटेरे' (प्लंडर्स) कहूंगा। जिस ढंग से लूट जारी है, ऐसी स्थिति में आप उन्हें लम्बे समय तक नहीं बचा सकते। ये 21 हस्ताक्षर बड़े पैमाने पर होने वाली गड़बड़ का एक अंशमात्र है, यह एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं जिसका प्रभाव इन्हीं लोगों पर पड़ेगा। अब देखना केवल यह है कि यह प्रभाव कितने समय में पड़ेगा।

जब यह वादविवाद आरम्भ हुआ था तो अनेक कांग्रेसी सदस्यों ने यह मांग की थी कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। फिर अन्दर ही अन्दर कुछ हुआ और अचानक ये लोग कहने लगे कि इसे विशेषाधिकार समिति के पास न भेजा जाये।

आप लोग इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं किन्तु आपने ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि अब आप किसी भी समाचार पत्र को न केवल सामूहिक रूप से बल्कि अलग अलग व्यक्तियों के विरूद्ध भी अपशब्द लिखने से नहीं रोक सकते हैं। आज सदस्यों को 'चोर' और 'दलाल' कहा जा रहा है तब भी आप लोग कहते हैं कि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। इसके पीछे 'विहित उद्देश्य' है। यहां नैतिक अधिकारों की बात कही गई है आप लोगों को बहुमत है अतः आप अधिकारों की बात कर सकते हैं किन्तु नैतिकता की बात आप नहीं कर सकते। एक ओर भ्रष्ट प्रणाली है, दूसरी ओर राजनीतिक प्रणाली। दोनों संयुक्त रूप से इसे शासक दल के एक ही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। यह उद्देश्य है किसी तरह से नेता को बचाना यह बड़े खेद की बात है।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी एक मात्र संस्था अर्थात संसद का मजाक न बनायें। हमें यह समझना चाहिए कि संसद अपनी कमियों और विफलताओं के बावजूद इस देश में लोकतंत्र का अवशेष है। इस संसद के संरक्षण के लिए मैं अपील करता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

Mr. Chairman : Shri Vasant Sathe has submitted an amendment.

श्री मधु लिमये (बांका) : प्रस्तावक महोदय ने अपना भाषण समाप्त कर लिया है। इस अवस्था में यह नहीं किया जा सकता। यह आरम्भ में किया जाना चाहिये, अब नहीं **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप किस नियम के अंतर्गत इस स्थानापन्न प्रस्ताव की अनुमति दे रहे है।

सभापति महोदय : नियम 226 के अंतर्गत ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Chairman Sir, just now you have stated that you are admitting this under rule 226. If you go through the rule carefully you will find this is not the appropriate state to admit this motion because the original motion has already been discussed and as well as replied.

Moreover this motion has not been circulated nor any notice been given, how can you allow it?

Shri Madhu Dandvate (Rajapur) : Mr. Chairman, Sir at this stage a counter motion cannot be admitted.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : इस प्रस्ताव को रखने का उचित समय श्री पीलू मोदी के प्रस्ताव का उत्तर दिये जाने से पहले था अब कोई प्रति प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब हम कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात पर विचार कर रहे थे कि इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी जाए अथवा नहीं तो मुझे किसी ने बताया श्री साठे एक प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे । अगर उन्होंने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है तो आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब श्री पीलू मोदी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था तो इस बात पर कुछ विवाद था कि यह नोटिस है या प्रस्ताव । तब अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सभा के समक्ष पहले एक प्रस्ताव है इसलिए अन्य कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता । यह कार्यवाही वृतान्त में है । श्री पीलू मोदी का प्रस्ताव और श्री मधु लिमये का संशोधन 4 सितम्बर 1974 को परिचालित किया गया था । श्री साठे उस समय अपना प्रति प्रस्ताव रख सकते थे ।

Shri Madhu Limaye : Mr Chairman, Sir, Since the mover has concluded his speech no more amendments or counter motion can be brought over it.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह कहा गया है कि प्रति प्रस्ताव नियम 226 पर आधारित है । नियम 220 में कहा गया है "यदि नियम 225 के अंतर्गत अनुमति दी जाती है तो सभा उस प्रश्न पर विचार कर के निर्णय ले सकती है" । अत: जो कोई मामला बाद में भी आएगा वह उसी मामले से संबंधित होगा जिसके लिए नियम 225 के अंतर्गत अनुमति दी गई है । वह बिलकुल पृथक मामला नहीं हो सकता, इस बारे में प्रस्तावक महोदय ने ध्यान नहीं दिया यह मेरा पहला निवेदन है ।

इस बात पर निर्णय लेना सदन का काम है कि विशेषाधिकार समिति को यह मामला भेजा जाए अथवा नहीं । किन्तु कोई भी प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव के विपरीत हो सदन में नहीं रखा जा सकता ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : सदन में यह निर्णय एक बार पहले दिया जा चुका है कि प्रस्ताव तथा प्रति प्रस्ताव दोनों ही नियम 226 के अंतर्गत रखे जा सकते हैं । यह निर्णय 5 अप्रैल 1967 को उठाए गए विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर दिया गया था कि विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया है तब अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री के इस प्रति प्रस्ताव की भी अनुमति दी थी जिसमें कहा गया था कि संबद्ध मंत्रियों ने सदन के किसी विशेषाधिकार का हनन

[श्री सी० एम० स्टीफन]

नहीं किया है। इस प्रकार से अब भी प्रति प्रस्ताव रखा जा रहा है। यह कोई संशोधन नहीं। यद्यपि चर्चा समाप्त हो गई है फिर भी मामला समाप्त नहीं हुआ। दूसरा प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। (व्यवधान)

Mr. Chairman : Rule 359 is very clear. I accept this point of order and put Shri Pilloo Mody's resolution and Shri Madhu Limaye's amendment to vote. Thereafter if there is permission of the House your counter Resolution can be considered.

Shri Madhu Dandwate (Rajapur) : First of all voting should be held on the amendment and then Resolution should be taken up.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष पीठ को अब प्रस्ताव से केवल सभा के विचार जानने के लिए प्रस्तुत करना है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : There is a rule for brining in Privilege Motion. If counter motion, as said by you comes it would be a new Privilege Motion.

Mr. Chairman : This may be pointed out when that comes. I now put the amendment moved by Shri Madhu Limaye to the vote of the House.

सभापति महोदय द्वारा श्री लिमये का संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : मैं अब श्री पीलू मोदी का प्रस्ताव मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

" मैं आपका ध्यान एक भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा सम्पादित साप्ताहिक **प्रतिपक्ष** के नवीनतम अंक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

"समाचार में कहा गया है कि 20 सदस्यों में से कुछ जिन्होंने लाइसेंस ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षरों की सत्यता सदस्य से इन्कार किया, झूठ बोले थे। समाचार में यह भी कहा गया है कि ये हस्ताक्षर रेल मंत्री, श्री एल० एन० मिश्र द्वारा कराए गए थे। प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार प्रधान मंत्री की भ्रष्टाचार के मुख्य स्त्रोत के रूप में निन्दा करता है। यह माननीय संदस्यों एवं सारे सदन का बहुत बडा अवमान है।

"यदि आप मुझे इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे तो मैं आपका अत्यन्त आभारी हूंगा"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I beg to move that the business of the House be adjourned. We have already sat half an hour more.

Mr. Chairman : I will put before the House Shri Vajpayee's motion to know the views.

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived.

(Interruption)

Mr. Chairman : Mr. Vasant Sathe's Counter Resolution is before you . Those in favour say 'Ayes'.

सभापति महोदय : जो इसके विरूद्ध है...

(अन्तर्बाधाएं)

श्री मधु लिमये और कुछ अन्य सदस्य मंच की ओर गये ।

Shri Madhu Limaye and some other Members went to the dais.

Shri Madhu Limaye : These proceedings are against the rules (*Interruptions*).

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री साठे को नियमित रूप से अपना प्रस्ताव कल प्रस्तुत करना चाहिये ।

(अन्तर्बाधाएं)

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह संसदीय लोकतन्त्र है ?

श्री पी० जी० मावलंकर : यह लोकतंत्र का गला घोटना है **(अन्तर्बाधाएं)** । सभा स्थगित होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझने दीजिये कि आप क्या चाहते हैं ? **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री पी० जी० मावलंकर : यह बहुत ही शर्मनाक बात है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : All the rules have been throttled (*Interruptions*) you had said that you will not give permission. (*Interruptions*). I had moved that the House be adjourned. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Let me clear the position.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, no body can support whatever has happened in the House. Mr. Limaye is not a new member. Whatever he has said is in accordance with the rules. He has never gone upto the dais. But there is a limit.

[Shri Atal Bihari Vajapayee]

The Chairman said that he can do anything whatever be the rules (*Interruptions*). And then he said that he committed mistake. The House was discussing Pillo Mody's motion. If Congress Members wanted to bring any other motion what is the stage for that? A new motion, relating to Privilege can not be moved at the end of the day. Are there separate rules for Shri Sathe and for us?

Then the House should adjourned at 6.00 p.m. so long as Shri Mody's motion was under consideration we did not raise any objection. I moved that the House be adjourned that motion was put to vote and rejected. The Parliamentary Minister said that the sitting be extended. This is being done to take up the motion which has been moved in the evenings. How can that be taken into consideration.

If Congress Party feels that it can manage the Parliament without Co-operation from the Opposition. It is free to do like that (*Interruptions*).

Sir, if you decide against us we will walk out.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं श्री बाजपेयी के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूं। सभा में हुई घटनाओं से हमें दुःख हुआ है। हमें सत्तारूढ दल से कोई शिकायत नहीं परन्तु हमारी उनसे लढाई है । हमारी शिकायत तो अध्यक्ष पीठ के विरूद्ध है । हम यहां पर कुछ नियमों से शासित होते हैं। अध्यक्ष पीठ को यह नहीं कहना चाहिये कि अध्यक्ष द्वारा कुछ भी किया जा सकता है । अध्यक्ष सभा का सेवक है स्वामी नहीं।

एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई और अन्त में उस पर मतदान हुआ और वह अस्वीकृत हुया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई नियम है अथवा नहीं । क्या किसी भी समय प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रत्येक प्रस्ताव किन्हीं नियमों के अन्तर्गत लाया जाता है। हम नहीं जानते कि यह प्रस्ताव किन नियमों के अन्तर्गत है ? यह प्रस्ताव विशेषाधिकार का दूसरा प्रस्ताव प्रतीत होता है । उस स्थिति में उस पर पहले आप को विचार करना होगा बाद में सभा द्वारा प्रश्न के रूप में उस पर विचार किया जायेगा और अंत में प्रस्ताव के रूप में उस पर विचार होगा । परन्तु उसके लिए पूर्व सूचना आवश्यक है ।

जब श्री पीलू मोदी के प्रस्ताव के बारे में सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई तो सभापति द्वारा सूचित किया गया कि एक दूसरा प्रस्ताव है व सभा की राय जाननी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसद है अथवा जबरदस्ती का राज्य है। यदि इस ओर अथवा उस ओर से जबरदस्ती हुई तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह होगा। (**अन्तर्बाधाएं**)

हमें इस संस्था को अध्यक्ष के निरकुंश व्यवहार से बचाना है। अध्यक्ष के विचार नियमों के अनुरूप होने चाहिये।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुरूप ही चल सकती है । इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सदस्यों को भी चाहिये कि वे यह देखें कि जो कुछ उनके द्वारा किया जाता है वह नियमानुसार हो ।

प्रश्न यह है कि क्या हम विशेषाधिकार प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे अथवा इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये । चर्चा समाप्त होने

पर प्रस्ताव पर मतदान होना था । प्रस्ताव पर श्री मधु लिमये का एक संशोधन था जिस पर पहले मतदान होना था । उस समय सभापति ने सूचित किया कि उस बारे में एक अन्य प्रस्ताव है । सभापति महोदय उसे पढने का प्रयास कर रहे थे। उससे पता चल जाता कि वह नियमानुसार है अथवा नहीं (**अन्तर्बाधाएं**) । उस समय यह प्रश्न उठाया गया है कि जो कुछ पहले से सदन के सम्मुख है उसका क्या होना । तब सभापति महोदय ने कहा कि पहले श्री मधु लिमये दो संशोधन को लिया जायेगा उसके बाद श्री पीलू मोदी का प्रस्ताव तथा उसके बाद में इस प्रस्ताव को लिया जायेगा यदि सदन चाहेगा तो । सभापति ने यह भी सूचित किया कि उन्हें नियमों का निलम्बन करने का भी अधिकार है।

तब श्री मधु लिमये के संशोधन पर मतदान हुआ व उसके बाद श्री पीलू मोदी के प्रस्ताव पर मतदान हुआ । उस अवस्था पर श्री बाजपेयी ने प्रस्ताव पेश किया कि सभा की कार्यवाही स्थगित की जाये । उस पर मतदान हुआ । तब यह प्रश्न हुआ कि उस प्रस्ताव को लिया जाये अथवा नहीं । उस समय सदस्य कह सकत थे कि उसके लिए अधिक समय दिया जाये ।

श्री पी० के० देव (कालाहंडी) : हमने कहा था।

श्री दिनेश सिंह : यदि इस प्रकार कहा गया होता तो कोई कठिनाई न होती । इस सम्बन्ध में एक परम्परा है जिसके अन्तर्गत इसी प्रकार के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था । सभा की कार्यवाही उचित रूप से तब ही चल सकती है जब माननीय सदस्य सभा के नियमों का पालन करें । मेरे विचार से यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे विचार से इस प्रस्ताव को परिचालित किया जाना चाहिये जिससे हम इस पर विचार कर सकें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। जब श्री पीलू मोदी ने अपना उत्तर पूरा कर लिया तो सभापति महोदय उठे और उन्होंने कहा कि उन्हें एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। जब मैंने यह कहा कि इस अवस्था में उस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं होगा तो यह कहा गया कि श्री मधु लिमये के संशोधन पर मतदान होने के बाद श्री पीलू मोदी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा । उस समय श्री मधु लिमये ने यह उल्लेख भी किया कि नियम 359 के अन्तर्गत मूल प्रस्ताव के उत्तर के बाद चर्चा को समाप्त समझा जायेगा। सभापति ने इस आशय को स्वीकार किया और संशोधन को मतदान के लिये रखा गया प्रस्ताव को भी मतदान के लिये रखा गया तथा प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। तब अचानक ही सभापति उठे। इसी समय श्री वाजपेयी भी उठे और कहा कि हम इस विषय पर काफी चर्चा कर चुके हैं और हम कल चर्चा कर सकते हैं । जब कभी भी किसी महत्वपूर्ण मामले पर सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो इसका नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त नियम 338 यह भी मांग करता है कि एक दो विषय पर दो समान प्रस्तावों पर एक सत्र में चर्चा नहीं की जा सकती । वास्तव में श्री लिमये नियम 338 को समाप्त करना चाहते थे जिससे अविश्वास का प्रस्ताव उठाया जा सके । श्री साठे द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव की हमें जानकारी नहीं है। सभापति को यह सुनिश्चित करना चाहिये था कि इस मामले में नियम 338 लागू होता है अथवा नहीं । जब सभा में चर्चा का वातावरण ही नहीं था तो सभापति महोदय ने वास्तव में हम पर अपना निर्णय सौंपने का प्रयास किया

[प्रो० मधु दण्डवते]

और इससे सभा का वातावरण और खराब हो गया । सभापति सदन के अधिकारों और शक्तियों के संरक्षक है और वह ही नियमों का उल्लंघन करने लगे तो सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है । नियमों का पालन न किये जाने के कारण श्री मधु लिमये उत्तेजित हुए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब आप कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता कर रहे थे तब हमने आपको इस आशंका से सूचित किया था और आपसे अनुरोध किया था कि आप सभापति को इस आशय के निदेश दें कि जब तक आप अनुमति न दें किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाये । सभापति ने किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी । लेकिन उन्होंने यह अनुभव किया कि सभापति के नाते उन्हें अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना चाहिये । जब सभापति को महासचिव ने यह सूचित किया कि आपने इसकी अनुमति दे दी है तो तो उन्होंने आपने सभापति के लिये दो रास्ते थे । सभा को स्थगित करना अथवा आपके निदेशों का पालन करना । जब आपने इसकी अनुमति दी थी तो आपको सभा को यह बताना चाहिये था कि सभापति महोदय आपके आदेश अनुसार कार्य कर रहे थे । इस प्रति प्रस्ताव को सब सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिये था ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सभा में आज जो हुआ वह असाधारण तथा आश्चर्यजनक है । जैसे ही श्री मधु लिमये का संशोधन ध्वनिमत से अस्वीकार हुआ श्री पील् मोदी का प्रस्ताव मतदान द्वारा अस्वीकृत हो गया । जब सभापति महोदय के विनिर्णय दिये जाने के साथ ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी उठे और यह प्रस्ताव रखा कि सभा अब स्थगित की जानी चाहिये । यह अनुरोध न हो कर प्रस्ताव का जिस पर सभापति द्वारा उसी समय विचार किया जाना चाहिये था । दुर्भाग्य से सभापति महोदय ने श्री वाजपेयी के प्रस्ताव पर चर्चा करने की बजाये समानान्तर प्रस्ताव पर विचार करना आरम्भ कर दिया और सभा की राय को सुनिश्चित नहीं किया । श्री वाजपेयी के प्रस्ताव पर सभा की राय को जाने बिना सभापति महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री और सरकार के कहने पर अन्य प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रख दिया ।

सरकार उक्त प्रस्ताव के समानान्तर प्रस्ताव कल ला सकती थी । लेकिन सभापति पर बहुमत का दबाव डाला जाना असंसदीय लोकतन्त्र के विरूद्ध और तानाशाही है । आपको श्री वाजपेयी के प्रस्ताव के बाद तुरन्त सभा को स्थगित करना चाहिये था । अन्य बातों पर कल चर्चा की जा सकती था ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य को यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिये कि सभापति तालिका में जो व्यक्ति हो उसे अपने दल या किसी दल विशेष के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिये । जैसे ही वह सभापति का स्थान ग्रहण करता है अध्यक्ष के रूप में सभा का सम्मान और गरिमा बनाये रखना उसका कर्त्तव्य हो जाता है ।

इस सम्बन्ध में दो मत नहीं है कि सभापति ने विपक्षी तथा सत्तारूढ़ दल को व्यवस्था का प्रश्न उठाने के समान अवसर दिये हैं । इस मामल में उन्होंने कहा कि वह इस प्रस्ताव के बारे में बाद में विचार करेंगे । इससे पूर्व उन्होंने बताया कि यदि अध्यक्ष महोदय अथवा सभापति महोदय यह समझते ह कि कोई प्रस्ताव महत्वपूर्ण है और उसे स्वीकार किया

जाना चाहिये, तो वे नियमों की अवहेलना भी कर सकते हैं । उन्होंने यह नहीं कहा कि वे ऐसा कर रहे हैं । उन पर यह गलत आरोप लगाया गया है । सभापति ने श्री वाजपेयी के स्थगन प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गथा वह अस्वीकृत हो गया । इसके पश्चात् सभापति महोदय ने श्री वसन्त साठे को अपना प्रस्ताव पढने की अनुमति दी । विपक्षी सदस्यों ने इस पर अपने स्थान त्याग दिये (**व्यवधान**) यह तथ्य है कि उन्होंने गड़बड़ की। मैं श्री मधु लिमये का आदर करता हूं। उनका संसदीय ज्ञान और प्रतिभा कभी-कभी मुझे बड़ी सहायक होती है। लेकिन आज जो कार्यवाही श्री मधु लिमये और श्री जनेश्वर मिश्र ने की वह सभापति महोदय के विरूद्ध न होकर संसदीय प्रणाली के विरूद्ध थी और मैं उसकी निन्दा करता हूं (**व्यवधान**) वे ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे संसदीय प्रणाली समाप्त हो जाये । जिस प्रकार आज श्री मधु लिमये ने पीठासीन की ओर दौडकर माइक आपने हाथ में ले लिया उसकी निन्दा की जानी चाहिये । यदि अध्यक्ष अथवा सभापति नियमों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करते हैं तो सदस्यों को उन्हें अध्यक्ष पीठ से हटाने का अधिकार है । क्या एक सदस्य को पीठासीन तक जाने, माइक को लेने तथा अपनी मर्जी अनुसार काम करने का अधिकार है? मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम एक सरल मामले को जटिल बना रहे हैं । सभापति महोदय नियम 359 के अन्तर्गत सामान्य तरीके से काम करते और यदि वह पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाते तो, चर्चा किये जाने वाले प्रस्ताव को समाप्त कर सकते थ और चूकि 6.30 बज चुके थे वह सभा स्थगित कर सकते थे क्योंकि श्री रघुरामैया ने समय बढ़ाने का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था ।

मुझे आज यह जानकर दु:ख हुआ कि आपने अपने कक्ष के सभापति को प्रस्ताव के बारे में निदेश दिय थे और सभापति को कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस मामले में आपने बड़ी गम्भीर गलती की है ।

यह बहुत गम्भीर आरोप है। हम गत एक सप्ताह से इस सरकार के विरूद्ध कडा संघर्ष कर रहे हैं अब सत्र की लगभग समाप्ति पर आपने अपना यह वास्तविक रूप दिखा दिया है कि आप केवल इस सरकार के संरक्षक हैं । मुझे इस बारे में बहुत दु:ख है और यह कार्य पीठासिन अधिकारी को शोभा नहीं देता । आपको इस बारे में पूरे तथ्यों सहित वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व-दिल्ली) : आप तथ्यों की जानकारी के लिये कार्यवाही वृतान्त देख सकते हैं । तथ्यों का उल्लेख करते हुए श्री बनर्जी ने सभापति तथा सदन के प्रति न्याय नहीं किया है ।

श्री पीलू मोदी के प्रस्ताव का उत्तर दिये जाने के बाद सभापति महोदय ने बताया कि श्री वसन्त साठे का एक और प्रस्ताव है । तब यह आपत्ति उठाई गई कि नियम 359 के अन्तर्गत इस अवस्था में प्रति प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता विभिन्न सदस्यों को सुनने के बाद सभापति ने यह विनिर्णय दिया कि वह पहले श्री मधु लिमये के संशोधन पर मतदान करवाऐंगे और उसके बाद श्री पीलू मोदी के मूल प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। उसके साथ ही पीठासन ने यह भी कहा कि इसके बाद वह श्री वसन्त साठे का प्रस्ताव लेंगे (**व्यवधान**) यह सब बाते कार्यवाही वृन्तात में हैं । इसके बाद श्री वाजपेयी ने निर्णय के पिछलेभाग पर आपत्ति की। इस पर पीठासन ने कहा कि जब अन्य मामला उठाया जायें

[श्री एच० के० एल० भगत]

तब वह आपत्ति उठा सकते हैं । संशोधन और मूल प्रस्ताव पर मतदान हुआ और उसमें विपक्षी दलों ने भी भाग लिया । सभापति महोदय को नियमों में छूट देने का अधिकार है (**व्यवधान**) सभापति महोदय के कुछ कहने से पूर्व वे सब शोर मचाने लगे। और 'नहीं, 'नहीं' चिल्लाने लगे । फिर सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिय रखा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सर्व प्रथम यह कहूंगा जो भी सभापति होता है वह अध्यक्ष क प्रतिनिधित्व करता है और मैं उसको पूरा सम्मान देता हूं। श्री इसहाक सम्भली के लिये मेरे मनमें व्यक्ति तथा सभापति के रूप में पूरा आदर है । कभी-कभी ऐसा होता है कि सभापति स्थिति को पूरी तौर पर नहीं समझता और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्री सम्भली ने मुझे एक 'स्लिप' भेजी थी और मैने कहा था कि सभापति सब कुछ कर सकता है । वास्तव में सभा में यह बहुत ही खराब स्थिति उत्पन्न हुई थी ।

महासचिव ने मुझे बताया कि प्रति प्रस्ताव को तब तक प्रस्तुत करने की अनुमति देना सम्भव नहीं जब तक अध्यक्ष उसे देख न ले और उस पर अपनी अनुमति न दे दें । इस सम्बन्ध में महासचिव ने भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा 1967 में दिये ग विनिर्णयों का भी उल्लेख किया। इन सब को ध्यान में रख कर मैंने कोई और विकल्प न देखकर इस पर स्वीकृति दे दी ।

पहले भी प्रति प्रस्ताव, प्रति संकल्प और स्थानापन्न प्रस्ताव आते रहे हैं । दुर्भाग्य से मैंने इस बात की जांच नहीं की कि चर्चा किस अवस्था तक पहुंच चुकी थी । यह मेरी त्रुटि है ।

जहां तक श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रश्न है, सरकार के लिये यह अधिक उपयुक्त था कि वह समय को बढ़ाने के बारे में जोर देती अथवा इस बारे में श्री वाजपेयी से अनुरोध करती। सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सभापति के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता था । ऐसी घटना बहुत दुर्भाग्य की बात है । मेरे विचार से स्थिति को इतना जटिल बनाने की बजाए उसे हल करने का प्रयास करना चाहिये था । उक्त घटना पर मुझे दुःख है । जैसे ही मुझे यह पता लगा कि पीठासन संकट में है मैं सब कार्यवाही छोड़कर सभा में आ गया ।

Shri S. M. Banerjee : In case you had not given those instructions it would have not happened.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में मेरी गलती ही मान लीजिये । मैंने नियमों में छूट दे दी और कहा कि मैं इसकी अनुमति देता हूं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरे विचार से प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया था और पारित हो गया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में रिकार्ड देखूंगा । इस बीच मैंने कार्यालय से प्रस्ताव परिचालित करने का अनुरोध किया है। (**व्यवधान**)जब मैं सदन में आया तो मैंने देखा कि कुछ सदस्य 'डायस' पर चढ़ हुए थे । मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिये यह बहुत अवांछनीय बात है । हमारे विचारों में अन्तर हो सकता है । हम घुस्से में आ सकते हैं । लेकिन राष्ट्रीय संसद् में ऐसा नहीं होना चाहिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस घटना से कोई भी प्रसन्न नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा को कल 11 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात, लोक सभा शुक्रवार 6 सितम्बर, 1974/15 भाद्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, September 6, 1974/ *Bhadra* 15, 1896 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०— वि० 6—34 लोक सभा/74—10-12-74—490.